(बि० वि० स० प्रकाशन संख्या 236)

बिहार विधान-सभा

लोक-लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या 228

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, वर्ष 1970-71 एवं 1979-80 (सिविल एवं रा० प्रा०) में वर्णित परिवहन विभाग से संबंधित कंडिकाओं पर लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन

(दिनांक..........को सदन में उपस्थापित)

वेबसाईट अपलोड
कृपया
शंकर
13/09/17

प्रतिवेदन सं० 228 (84)

विषय सूची

	पृष्ट
लोक लेखा समिति (1986-87) का गठन	2–6
आमुख	3
प्रतिवेदन	
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1970-71 से 1979-80 तक	1
क्रमांक 1.	
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1972-73 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.3 (4)	1–2
,, ,, ,, 1973-74 ,, ,, ,, 1.3	
,, ,, ,, 1974-75 ,, ,, ,, 1.3	
,, ,, ,, 1975-76 ,, ,, ,, 1.3	
,, ,, ,, 1976-77 ,, ,, ,, 1.3	
,, ,, ,, 1977-78 ,, ,, ,, 1.3	
,, ,, ,, 1978-79 ,, ,, ,, 1.3	
,, ,, ,, 1979-80 ,, ,, ,, 1.3	
क्रमांक 2.	
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1970-71 की कंडिका 3 (ख)	3–5
,, ,, ,, 1971-72 ,, ,, 3 (व) (घ)	
,, ,, ,, 1972-73 ,, ,, 1.3 (घ) (परि० 1)	

368/11 एल० ए०

पृष्ठ

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1972-73 की कंडिका 1.5

,, ,, ,, 1973-74 की कंडिका 1.7

,, ,, ,, 1979-80 ,, ,, 1.6

क्रमांक 3.

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1972-73 (रा० प्रा०) की कंडिका 1 4 6–7

,, ,, ,, 1973-74 ,, ,, 1.4

,, ,, ,, 1974-75 ,, ,, 1.4

,, ,, ,, 1975-76 ,, ,, 1 4 (परि०)

,, ,, ,, 1976-77 ,, ,, 1 4

,, ,, ,, 1977-78 ,, ,, 1.4

,, ,, ,, 1978-79 ,, ,, 1.4 (परि०)

,, ,, ,, 1979-80 ,, ,, 1.4 (परि०)

क्रमांक 4.

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1976-77 की कंडिका 1.6 7

,, ,, ,, 1977-78 ,, ,, 1.6

,, ,, ,, 1978-79 ,, ,, 1 6

,, ,, ,, 1979-80 ,, ,, 1.6

पृष्ठ

क्रमांक 5.

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1977-78 की कंडिका 1.6(IV) 8

,, ,, ,, 1978-79 ,, ,, 1.6 (IV)

,, ,, ,, 1979-80 ,, ,, 1.6 (V)

क्रमांक 6

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1974-75 की कंडिक 1.7 9-10

,, ,, ,, 1975-76 ,, ,, 1.7

,, ,, ,, 1976-77 ,, ,, 1.8

,, ,, ,, 1977-78 ,, ,, 1 8

,, ,, ,, 1978-79 ,, ,, 1.8

,, ,, ,, 1979-80 ,, ,, 1.8

क्रमांक 6 (क)

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1974-75 की कंडिका 1.8 11

,, ,, ,, 1975-76 ,, ,, 1.9

,, ,, ,, 1976-77 ,, ,, 1 9

,, ,, ,, 1977-78 ,, ,, 1.9

,, ,, ,, 1978-79 ,, ,, 1.9

,, ,, ,, 1979-80 ,, ,, 1.9

क्रमांक 7

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1974-75 की कंडिका 2 6 13

क्रमांक 8

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1971-72 की कंडिका 5 (परि० III) 13

,, ,, ,, 1979-80 ,, ,, 2.1(IV)

(80)

पृष्ठ

क्रमांक 9.

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1970-71 की कंडिका 72 (परि० VIII) 15

,, ,, ,, 1971-72 ,, ,, 74 (परि० VIII)

,, ,, ,, 1972-73 ,, ,, 5.7

,, ,, ,, 1973-74 ,, ,, 32

,, ,, ,, 1974-75 ,, ,, 3.18

,, ,, ,, 1975-76 ,, ,, 3.15

,, ,, ,, 1976-77 ,, ,, 3.18

,, ,, ,, 1977-78 ,, ,, 3.9

,, ,, ,, 1978-79 ,, ,, 3.13

,, ,, ,, 1979-80 ,, ,, 3.26 (परि० 3.18)

क्रमांक 10

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 की कंडिका 8.1 16

क्रमांक 11

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1971-72 की कंडिका 8.4 17

,, ,, ,, 1972-73 ,, ,, 8.3

,, ,, ,, 1979-80 ,, ,, 8.2

,, ,, ,, 1979-80 (रा०प्रा०) कंडिका 1.7

	पृष्ठ
क्रमांक 12	
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1973-74 (रा० प्रा०) की कंडिका 6.1	19
क्रमांक 13	
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1973-74 की कंडिका 6 2	21
क्रमांक 14	
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1973-74 (रा० प्रा०) की कंडिका 6.3	24
क्रमांक 15	
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1973-74 (रा० प्रा०) की कंडिका 6.4	27
क्रमांक 16	
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1973-74 (रा० प्रा०) की कंडिका 6.5	28
क्रमांक 17	
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1974-75 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.2	31
क्रमांक 18	
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1974-75 (रा० प्रा०) की कंडिका 43	33
क्रमांक 19	
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1974-75 (रा० प्रा०) की कंडिका 44	35
क्रमांक 20	
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1974-75 (रा० प्रा०) की कंडिका 45	37

पृष्ठ

क्रमांक 21
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1974-75 (रा० प्रा०) की कंडिका 46 38

क्रमांक 22
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1974-75 (रा० प्रा०) की कंडिका 47 40

क्रमांक 23
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1974-75 (रा० प्रा०) की कंडिका 48 41

क्रमांक 24
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1974-75 (रा० प्रा०) की कंडिका 49 46

क्रमांक 25
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1975-76 (रा० प्रा०) की कंडिका 5.2 47

क्रमांक 26
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1975-76 (रा० प्रा०) की कंडिका 5 3 48

क्रमांक 27
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1975-76 (रा० प्रा०) की कंडिका 5.4 49

क्रमांक 28
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1975-76 (रा० प्रा०) की कंडिका 5.5 50
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1976-77 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.8

	पृष्ठ
क्रमांक 29	
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1975-76 (रा० प्रा०) की कंडिका 5.6	50
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1976-77 (रा० प्रा०) की कंडिका 5.5	
क्रमांक 30	
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1976-77 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.1	51
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1977-78 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.1	
क्रमांक 31	
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1976-77 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.2	53
क्रमांक 32	
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1976-77 (रा० प्रा०) की कंडिका 4 3	54
क्रमांक 33	
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1976-77 (रा० प्रा०) की कंडिका 4 4	55
क्रमांक 34	
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1966-77 (रा० प्रा०) की कंडिका 4 6	56
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978-79 (रा० प्रा०) की कंडिका 4 9	
क्रमांक 35	
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1976-77 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.7	58

	पृष्ठ
क्रमांक 36 अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1977-78 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.2	59
क्रमांक 37 अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1977-78 (रा० प्रा०) की कंडिका 4 3	60
क्रमांक 38 अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1977-78 (रा० प्रा) की कंडिका 4.4	62
क्रमांक 39 अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1977-78 (रा० प्रा) की कंडिका 4.5	63
क्रमांक 40 अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1977-78 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.6	64
क्रमांक 41 अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1977-78 (रा० प्रा०) की कंडिका 4 7	65
क्रमांक 42 अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1977-78 (रा० प्रा०) की कंडिका 4 8	66
क्रमांक 43 अंकेक्षण प्रतिवेदन 1977-78 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.9	67
क्रमांक 44 अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1977-78 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.10	69

पृष्ठ

क्रमांक 45

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978-79 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.1 ... 70

क्रमांक 46

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978-79 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.2 ... 71

क्रमांक 47

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978-79 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.3 ... 73

क्रमांक 48

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978-79 (रा० प्रा०) की कंडिका 4·4 ... 74

क्रमांक 49

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978-79 (रा० प्रा०) की कंडिका 4·5 ... 75

क्रमांक 50

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978-79 रा० प्रा०) की कंडिका 4·6 ... 76

क्रमांक 51

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978-79 (रा प्रा०) की कंडिका 4·7 ... 77

क्रमांक 52

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978-79 (रा० प्रा०) की कंडिका 4·8 ... 78

क्रमांक 53

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978-79 (रा० प्रा०) की कंडिका 4·10 ... 79

368/11 एल० ए०

पृष्ठ

क्रमांक 54

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 (रा० प्रा०) की कंडिका 4·1 79

क्रमांक 55

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 (रा० प्रा०) की कंडिका 4·2 81

क्रमांक 56

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 (रा० प्रा०) की कंडिका 4·3 82

क्रमांक 57

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 (रा० प्रा०) की कंडिका 4·4 83

क्रमांक 58

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 (रा० प्रा०) की कंडिका 4·5 84

क्रमांक 59

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 (रा० प्रा०) की कंडिका 4·6 84

क्रमांक 60

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 (रा० प्रा०) की कंडिका 4·7 86

क्रमांक 61

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 (रा० प्रा०) की कंडिका 4·8 86

क्रमांक 62

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 (रा० प्रा०) की कंडिका 4·9 87

लोक लेखा समिति (1986-87) का गठन

सभापति

1. श्री भोला सिंह, स०वि०स०

सदस्यगण/सदस्या

2. श्री भीष्म प्रसाद यादव, स०वि०स०
3. श्री महावीर चौधरी, स०वि०स०
4. श्री कुमुद रंजन झा, स०विस०
5. श्री राधाकृष्ण किशोर, स०वि०स०
6. श्री देवेन्द्रनाथ चाम्पिया; स०वि०स०
7. श्री शकीला उज्जमा, स०वि०स०
8. श्री हरखू झा, स०वि०स०
9. श्री सुधीर कुमार सिंह; स०वि०स०
10. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, (बेलसंड) स०वि०स०
11. श्री रमेन्द्र कुमार यादव, "रवि" स०वि०स०
12. श्री राम सेवक सिंह, स०वि०स०
13. श्री निर्मल कुमार बेसरा, स०वि०स०
14. श्री त्रिवेणी तिवारी, स०वि०स०
15. श्री शिबू सोरेन, स०वि०स०
16. श्री राम सेबक हजारी, स०वि०स०
17. श्रीमती ब्यूला दोजा, स०वि०स०
18. श्री मो० वली रहमानी, स०वि०प०
19. श्री दिवाकर प्रसाद सिंह, स०वि०प०
20. श्री रमेश प्रसाद सिंह, स०वि०प०
21. श्री संजय लाल, स०वि० प०

*22. श्री नसीरूद्दीन हैदर खां, स०वि०प०

---

*दिनांक 3 मार्च 1987 से त्यागपत्र

महालेखाकार कार्यालय

1. श्री रमेशचन्द्र, महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), बिहार (पटना)
2. श्री एस० राजाराम, महालेखाकार (लेखा परीक्षा-2), बिहार (रांची)
3. श्री विश्वनाथ झा, लेखा परीक्षा अधिकारी, बिहार।

वित्त विभाग

1. श्री अरुण पाठक, वित्त सचिव।
2. श्री पशुपति नाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव।

बिहार विधान-सभा सचिवालय

1. श्री विशेश्वरनाथ मेहरोत्रा, सचिव।
2. श्री जगदीश प्रसाद साहु, उप-सचिव।
3. श्री इन्द्रमणि सिंह, अवर सचिव।
4. श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह, अवर सचिव।
5. श्री भवेशचन्द्र सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी।
6. श्री दिनेशचन्द्र करूण, प्रशाखा पदाधिकारी।
7. श्री मो० बदरुद्दीन, प्रवर कोटि सहायक।
8. श्री मोहन झा, सहायक।
9. श्री सुनील कुमार सिंह, सहायक।

(77)

आमुख

मैं सभापति, लोक लेखा समिति परिवहन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 1970-71 से 1979-80 तक की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। यह प्रतिवेदन दिनांक 3 मार्च 1987 को समिति द्वारा पारित किया गया।

श्री रमेशचन्द्र, महालेखाकार, पटना (लेखा-परीक्षा-1) बिहार श्री एस० राजाराम, महालेखाकार, रांची (लेखा परीक्षा-2) बिहार श्री विश्वनाथ झा, लेखा परीक्षा अधिकारी, बिहार, श्री अरुण पाठक, वित्त सचिव, श्री पी० एन० सिंहा, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग ने समिति को जो सहयोग दिया है, इसके लिए समिति उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती है।

विधान-सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रतिवेदन तैयार करने में जो परिश्रम किया है समिति इसके लिए उनकी सराहना करती है।

पटना

दिनांक 3 मार्च 1987।

भोला सिंह

सभापति, लोक लेखा समिति।

ब
नि

कि
है
36

क्रमांक-1

परिवहन विभाग

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1970-71 से 1979-80 तक की कंडिकाओं पर प्रतिवेदन

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1972-73 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.3 (4)
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1973-74 (रा०प्रा०) की कंडिका 1 3
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1974-75 (रा०प्रा०) की कंडिका 1.3
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1975-76 (रा०प्रा०) की कंडिका 1.3
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1976-77 (रा०प्रा०) की कंडिका 1 3
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1977-78 (रा०प्रा०) की कंडिका 1.3
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978-79 (रा०प्रा०) की कंडिका 1 3
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 (रा०प्रा०) की कंडिका 1.3

बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़ों में घट बढ़

विभाग के अन्तर्गत 1972-73 से 1979-80 तक राजस्व प्राप्तियां के बजट अनुमान और वास्तविक आंकड़ों के बीच घट बढ़ रहा जिसका ब्योरा निम्न प्रकार है:—

राजस्व शीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़ा	अन्तर (+) वृद्धि (—) कमी	अन्तर की प्रतिशतता
यानों पर कर	1972-73	4.75	5 22	(+) 0 47	(+) 9 89
	1973-74	5 04	5.59	(+) 0 55	(+) 10 91
	1974-75	5.85	6.00	(+) 0.15	(+) 2 56
	1975-76	6.40	8.36	(+) 1.96	(+) 30.63
	1976-77	6.76	7.96	(+) 1 20	(+) 17.75
	1977-78	8 84	8.41	(—) 0.43	(—) 4.86
	1978-79	8.86	3 92	(—) 4 94	(—) 55.76
	1979-80	9 76	16 63	(+) 6 87	(+) 70.39

बजट तथा वास्तविक प्राप्तियों के आंकड़ों को देखने से ज्ञात होता है कि अन्तर की प्रतिशतता कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा रही जिससे पता चलता है कि बजट के अनुमान करने का कोई ठोस आधार नही था।

विभागीय स्पष्टीकरण

वर्ष 1975-76 में बजट अनुमान 6 40 करोड़ है और वास्तविक आंकड़ा 8 36 है। अतः अधिक वसूली पदाधिकारियों के द्वारा बकाया कर की की गई वसूली तथा लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में विशेष प्रयासों के फलस्वरुप अधिक वसूली हुई है।

वर्ष 1978-79 में वास्तविक आंकड़ा 3.92 करोड़ के स्थान पर 9 65 तथा वर्ष 1979-80 मे 16.63 के स्थान पर 10.88 है जैसा कि महालेखाकार विहार के यहां लेखा सत्यापन पर मालूम हुआ। शायद वर्ष 1978-79 के वास्तविक आंकड़ा को वर्ष 1979-80 में प्रविष्ट कर दिया गया है अतः स्थिति निम्न प्रकार है :—

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़ा	अन्तर + वृद्धि — कमी	अन्तर की प्रतिशतता	अभ्युक्ति
1978-79	8 86	9 65	+ 0.9	+ 9	स्पष्टीकरण इस कार्यालय के पत्रांक 10744 दिनांक 26-11-1979 के द्वारा वित्त विभाग को भेजा गया है।
1979-80	9 76	10.88	+ 0.79	+ 9	
			+ 1.12	+ 11	

हरेक वर्ष में महालेखाकार, विहार के निदेशानुसार इस विभाग से दल लेखा सत्यापन के लिए भेजा जाता है और सत्यापन से वास्तविक आंकड़ा की जानकारी हुआ करती है। लक्ष्य एवं प्राप्ति की समीक्षा अब प्रत्येक माह की जा रही है।

इस प्रकार प्रायः सभी वर्षो मे लक्ष्य की तुलना में प्राप्ति की भिन्नता। प्रतिशत से भी कम है, केवल वर्ष 1976-77 में ही 17.75 प्रतिशत है जो कि बहुत अधिक नहीं है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इस कंडिकाओं को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक 2

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1970–71 की कंडिका 3 (ख)

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1971–72 की कंडिका 3 (व) (ध)

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1972–73 की कंडिका 1.3 (ध) (परि० 1)

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1972-73 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.5

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1973–74 की कंडिका 1.7

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979–80 की कंडिका 1.6

राजस्व की वसूली में बकाया

1979--80 के अन्त तक संग्रहण के लिए लम्बित बकाए राजस्व का व्योरा विभाग से जून 1980 में मांगा गया था जो अप्राप्त रहा। परिवहन विभाग से सम्बन्धित 24.00 लाख रुपए संग्रहण के 31 मार्च 1974 को लम्बित था। विभाग ने उसके बाद बकाया राशि की सूचना नहीं भेजी। अद्यतन सूचना विभाग से अपेक्षित है। लोक लेखा समिति ने इस सम्बन्ध मे अपनी अनुशंसा पहले भी प्रतिवेदन संख्या 91 में दे चुकी है जिसमें सिफारिश की गई थी कि वसूली में तत्परता बरती जाय तथा एक ऐसा विवरण बनाया जाय जिससे एक नजर में पता लग सके कि किस जिला में कब से कितना बकाया है तथा कितनी वसूली हुई।

विभागीय स्पष्टीकरण

बकाये राजस्व वसूली वर्ष 1979–80 तक की स्थिति मांहवार कुल योग 9,34,41,258 00 रु० है।

ज्योंहि सभी जिला कार्यालय से बकाए राशि के आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं उसे महालेखाकार, बिहार को भेज दिया जाता है। यद्यपि यह देखा गया है कि जिला से आंकड़े प्रायः बहुत दिनों तक अप्राप्त रहते हैं और उसके लिए सदैव स्मार देना पड़ता है।

वर्ष 1979–80 तथा 1980–81 के लिए बकाये का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है—

वसूली के लिए जिला परिवहन पदाधिकारियों के द्वारा डिमांड नोटिश दिए जाते हैं जिससे कुछ वसूली होती है और शेष के लिए सर्टिफिकेट केस कर दिया जाता है इससे भी कुछ वसूली हो जाती है।

किन्तु अद्यतन वसूली की स्थिति जानने के लिए सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को स्मार दिया गया है । उत्तर संकलित होते ही समिति को जानकारी करा दी जाएगी।

राज्य परिवहन आयुक्त ने दिनांक 23 अगस्त 1985 को सभी क्षेत्रीय उप-परिवहन एवं सहायक परिवहन आयुक्त की एक बैठक की भी और सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट कर दिया गया कि उन्हें उनके अधीनस्थ सभी जिला पदाधिकारियों से अद्यतन सूचना एक माह के अन्दर उपलब्ध कर और वसूली के लिए सभी कारवाई करें ।

1979-80 एवं 1980-81 तक राजस्व की वसूली में बकाया निम्न प्रकार है :—

जिला का नाम	वर्ष 1979-80 सन्निहित राशि	सन्निहित राशि	वर्ष 1980-81 सन्निहित राशि	सन्निहित राशि
1. पटना	1,07,97,782	..	87,70,856	...
2. गया	50,79,681	...	52,09,421	...
3. भोजपुर	16,02,966	...	16,61,210	.
4. रोहतास	28,34,222	..	3[illegible],56,105	..
5. छपरा	25,89,750	..	27,03,813	..
6. मोतिहारी	9,21,996	..	11,85,214	..
7. दरभंगा	10,05,650	..	9,09,349	..
8. मुजफ्फरपुर	45,35,736	..	46,60,900	..
9. पूर्णियां	26,57,917	..	27,49,112	..
10. सहरसा	5,56,250	..	6,83,658	..
11. मुंगेर	..	..	..	..
12 बेगूसराय	15,64,685	...	17,47,046	..
13 भागलपुर	18,58,293	..	23,53,776	..
14. दुमका	16,44,845	..	16,50,629	..

जिला का नाम	वर्ष 1979-10 सन्निहित राशि	सन्निहित राशि	वर्ष 1980-81 सन्निहित राशि	सन्निहित राशि
15. रांची	87,97,604	..	99,43,977	..
16. हजारीबाग	53,35,701	.	65,69,225	..
17 गिरीडीह	29,07,656	..	36,18,655	..
18 पलामू	23,88,921	..	24,28,782	..
19 धनबाद	1,11,07,304	..	1,39,19,440	..
20 चाईबासा	24,31,395	..	25,95,658	..
21. जमशेदपुर	1,06,01,347	.	92,65,492	..
22. बोकारो	36,79,459	..	37,08,323	..
23. बेतिया	05,78,864	..	5,67,432	..
24. नालन्दा	5,17,561	..	9,72,586	.
25 ए० टी० ए०, पटना	63,74,028	..	81,82,780	..
टोटल	9,34,41,258		10,02,69,604	

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि :—

(1) सभी बकाए राजस्व की वसूली जल्द से जल्द की जाय,

(2) बकाए राजस्व की अद्यतन स्थिति से समिति एवं महालेखाकार को अवगत कराया जाय,

(3) महालेखाकार को बकाए राजस्व की सूचना नहीं देने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाय।

की गई कार्रवाई से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराया जाय।

(70)

क्रमांक—3

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1972-73 (रा० प्रा०) की कंडिका 1 4

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1973-74 (रा० प्रा०) की कंडिका 1 4

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1974-75 (रा० प्रा०) की कंडिका 1·4

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1975-76 (रा० प्रा०) की कंडिका 1 4 (परि०)

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1976-77 (रा० प्रा०) की कंडिका 1 4

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1977-78 (रा० प्रा०) की कंडिका 1 4

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978-79 (रा० प्रा०) की कंडिका 1 4 (परि०)

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 (रा० प्रा०) की कंडिका 1.4 (परि०)

संग्रहण पर खर्च

राजस्व के संग्रहण पर किए गए व्यय का ब्योरा निम्नलिखित है :—

शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता
		(करोड़ रुपयों में)		
यानो पर	1970-71	3·68	0 11	2·99
कर।	1971-72	4·48	0·12	2 68
	1972-73	5·22	0 15	2·87
	1973-74	5·59	0 17	3·04
	1974-75	6·00	0 22	3·67
	1975-76	8·36	0·24	2·87
	1976-77	7·96	0 27	3 40
	1977-78	8 41	0·31	3·69
	1978-79	3·92	0·35	8·93
	1979-80	16·63	0·43	2 59

69

विभागीय उत्तर

(1) वर्ष 1974-75 में 3 67 प्रतिशत का व्यय हुआ है जो मंहगाई भत्ता देने तथा विभाग पुनर्गठन के फलस्वरूप नई नियुक्तियां होने के कारण व्यय में वृद्धि हुई।

वर्ष 1977-78 में सिर्फ 3 69 प्रतिशत है जो अधिक नहीं कहा जा सकता है।

वर्ष 1978-79 में संग्रहण 3 92 करोड़ के स्थान पर 9·65 करोड़ है अतः व्यय 8 93 प्रतिशत न होकर मात्र 3 60 प्रतिशत है जो अधिक नहीं समझा जा सकता है।

(2) महालेखाकार बिहार से लेखा सत्यापन पर संग्रहण वर्ष 1978-79 में 3 92 करोड़ नहीं है बल्कि 9 65 करोड़ है जिसका स्पष्टीकरण वित्त विभाग को इस कार्यालय के पत्रांक 10744, दिनांक 26 नवम्बर, 1979 के द्वारा भेजा गया है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इन कंडिकाओं को आगे नहीं बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक–4

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1976-77 की कंडिका 1·6

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1977-78 की कंडिका 1·6

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978-79 की कंडिका 1 6

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 की कंडिका 1·6

सरकार द्वारा कर्ज एवं पेशगियां

शीर्ष "738 सड़क और जल परिवहन सेवाओं के लिए कर्जे" सड़क परिवहन के अन्तर्गत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को कर्ज के रूप में 31 मार्च, 1980 तक 29,33 336 रुपये बकाए थे। इनमें कितनी राशि मूल के रूप में तथा कितनी राशि सूद के रूप में 31 मार्च, 1980 तक पथ परिवहन निगम द्वारा देय है इसकी सूचना अपेक्षित है।

विभागीय उत्तर

वर्ष 1975-76 में केन्द्रीय सहायता के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत राज्य सरकार के माध्यम से 40 लाख रुपए ऋण के रूप में निगम को प्राप्त हुए थे जिससे 15 वर्षों में बराबर किस्तों में सूद के साथ भुगतान करना था। 31 मार्च, 1980 तक 10,66,664 रुपए मूल के रूप में तथा 14,76,205 रुपए सूद के रूप राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष 1976-77 वर्ष से 1979-80 तक भुगतान कर दिया जा चुका है। 31 मार्च, 1980 तक देय सूद का भुगतान किया जा चुका है परन्तु मूल जो 31 मार्च, 1980 के बाद देय होता है उसकी राशि 29,33,336 रुपए होता है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि :—

1. सभी बकाये कर्ज एवं उस पर देय सूद की राशि की वसूली जल्द-से-जल्द की जाय।

की गयी कार्रवाई से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराई जाय।

क्रमांक—5

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1977–78 की कंडिका 1 6 (IV)
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978–79 की कंडिका 1.6 (V)
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979–80 की कंडिका 1.6 (VI)

(कर्जे की शेषों की स्वीकृति)

महालेखाकार के खाते में कर्ज एवं पेशगियों के अन्तर्गत लम्बित शेष का सुनिश्चित करने के लिए तथा विभागीय लेखे भी ठीक बनाये गये हैं इसे देखने के लिए प्रत्येक वर्ष के अन्त में महालेखाकार द्वारा अपने खाते के अनुसार शेष राशियों के सत्यापन और स्वीकृति जो शीर्ष 738 सड़क तथा जल परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज शीर्षक से संबंधित है। वर्ष 1975-76 से प्रतीक्षित है जिसके अन्तर्गत 40.00 लाख रुपये अन्तग्रस्त है।

विभागीय उत्तर

भुगतान करने का पूर्ण ब्यौरा इस कार्यालय के पत्रांक 15590, दिनांक 27 जनवरी, 1981 के द्वारा परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव तथा प्रतिलिपि महालेखाकार, रांची को भी भेजा गया है।

अतः विभिन्न बिन्दुओं का उत्तर निम्नांकित है :--

1. शेष राशि यानि मूल का भुगतान आगामी वर्ष 1980-81 से प्रत्येक 2,66 666 रुपये देय है। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष शेष राशि पर ही सूद देय है। 1980-81 एवं 1981-82 में मूल का एवं सूद का भुगतान किया जा चुका है।

2. वर्ष 1979-80 याने 31 मार्च, 1980 के बाद मूल के रुप में 29, 33,336 रुपये देय है तथा सूद के रूप में 31 मार्च, 1980 तक कोई बकाया नहीं है। वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में मूल एवं सूद का भुगतान समय पर किया गया है। परन्तु निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं रहने के कारण निगम 1982-83 से मूल का किस्त एवं सूद का भुगतान नहीं कर पा रही है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। कर्जों के शेषों की स्वीकृति महालेखाकार को प्रत्येक वर्ष भेज दिया जाना चाहिए जो नहीं भेजा गया। समिति इन पर अपना क्षोभ प्रकट करती है और अनुशंसा करती है कि :—

1 प्रत्येक वर्ष के कर्जो के शेषों की स्वीकृति महालेखाकार को जल्द से जल्द भेज दिये जायं।

2. इस कार्य में विलम्ब के लिए दोषी व्यक्ति पर उचित कार्रवाई की जाय, की गयी कार्रवाई से समिति को छः माह के अन्दर अवगत करायी जाय।

क्रमांक-6

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1974-75 की कंडिका 1 7

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1975-76 की कंडिका 1.8

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1976–77 की कंडिका 1 8

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1977–78 की कंडिका 1.8

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978–79 की कंडिका 1.8

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979–80 की कंडिका 1.8

राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारंटिया ।

सरकार द्वारा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को दिये गये कर्जों की वापसी तथा रोकड़ उधार सुविधाओं और उस पर व्याज अदायगी दी गयी है । ऐसी गारंटी की अधिकतम राशि 1977–78 तक 694 68 लाख रुपये थी जो 31 मार्च, 1978 तक गारंटी की बकाया रकम थी । वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के संबंध में विस्तृत सूचना अपेक्षित है ।

विभागीय उत्तर

31 मार्च, 1980 तक बाजार ऋण उगाही की राशि पर दी गयी गारंटी की बकाया राशि 8 80 करोड़ रुपये है । यहां यह भी उल्लेख करना है कि 1977–78 तक दी गयी गारटी की राशि मात्र 660 लाख रुपये थी तथा 34 68 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता की शेष राशि थी जिस पर राज्य सरकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं है । अतः प्रतिवेदन में दिखाये गये 6.94.78 लाख रुपये के विरूद्ध 694 68 लाख रुपये ही होगा ।

31 मार्च 1980 राज्य सरकार को गारंटी कमीशन के रूप में 2, 88, 750 रूपये बकाये थे जिसका भुगतान 1980–81 वर्ष से 1, 10, 000 रूपये पटना सचिवालय कोषागार में चलान सं० 4 दिनांक 8 जुलाई, 1980 तथा वर्ष 1981-82 में 1, 78, 750 रुपये पटना सचिवालय कोषागार से चलान सं० 3 दिनांक 30 मार्च, 1981 के द्वारा जमा किया गया है । अतः 31 मार्च, 1980 तक कमीशन के रूप में कोई भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है ।

31 मार्च, 1980 तक राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारंटी के विरू राशि पर भी कोई भी हानि राज्य सरकार को नहीं उठानी पड़ी है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इन कंडिकाओं को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

क्रमांक–6 (क)

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1974–75 की कंडिका 1.8

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1975–76 का कंडिका 1.9

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1976–77 की कंडिका 1.9

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1977–78 की कंडिका 1.9

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978–79 की कंडिका 1.9

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979–80 की कंडिका 1.9

राज्य सरकार के निवेश ।

राज्य सरकार द्वारा परिवहन सेवाओं के लिए विहार राज्य पथ परिवहन निगम को 31 मार्च, 1980 तक 19, 00, 41, 350 रुपये निवेशित किये गये जिसमें 15, 56, 41, 350 रुपये पूंजी अंशदान तथा 3, 44, 00, 000 रुपये हिस्से के रुप में थे । निगम की पूंजी में राज्य सरकार द्वारा और भारत सरकार (रेल मंत्रालय) द्वारा 1968–69 तक 3 1 और 1969–70 और उसके बाद से 2:1 अनुपात में अंशदान दिया गया । निगम को 1977-78 के दौरान 493.31 लाख रुपये की हानि हुई तथा उक्त वर्ष के अन्त तक संचित हानि 1690.60 लाख रुपये थी । वर्ष 1978–79 और 1979–80 के वित्तीय विवरणी से संबंधित सूचना की प्रतीक्षा है (मई, 198[illegible])

विभागीय उत्तर

राज्य सरकार द्वारा निवेश की गयी पूंजी अंशदान की राशि का शेयर सर्टिफिकेटस निर्गत करने का प्राबधान नहीं है । रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन एक्ट 1950 के अधिनियम 23 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पूंजी अंशदान के रूप में भुगतान की गयी राशि का समय समय पर निर्धारित अनुपात की दर से केन्द्रीय सरकार (रेलवे) के द्वारा हिस्सा पूंजी के रूप में निगम को दी जाती है ।

2. निगम में हानि होने के निम्नांकित मुख्य कारण हैं:—

(*i*) निगम को स्कूलों, कालेजों तथा सचिवालय के लिए गाड़ियां चलानी पड़ती हैं। इन बसों से आय बहुत काम आती हैं तथा ये बहुत कम दूरी भी तय करती हैं। इसके चलते निगम को सालाना लगभग 1 करोड़ 26 लाख रुपये का घाटा होता है।

(*ii*) प्राईवेट बसों को 24 कि० मी० तक अधिसूचित मार्गों पर चलने की छूट दिया जाना। इसके चलते प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ 75 लाख रुपये निगम को कम आमदनी हुई।

(*iii*) यात्रियों द्वारा बिना टिकट यात्रा करना।

(*iv*) निगम के कर्मचारियों द्वारा आय की चोरी।

(*v*) राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों द्वारा अनधिकृत रुप से चलाना।

(*vi*) राज्य सरकार द्वारा प्रतिष्ठानों के स्टैण्ड के लिए उपयुक्त स्थान नहीं दिये जाने के कारण गाड़ियां दूर रखनी पड़ती हैं इससे अनावश्यक किलोमीटर गाड़ियां चलती हैं।

(3) निगम के वित्तीय परिणामों की सूचना:—

1978-79 एवं 1979-80 वर्ष की वार्षिक लेखा बनाकर भेजा जा चुका है तथा उसका अंकेक्षण भी महालेखाकार द्वारा किया जा चुका है। इसको समय पर नहीं तैयार करने के कारण लेखा शाखा में कर्मचारियों की कमी है। वर्ष 1978-79 और 1979-80 में क्रमश: 2,27 44,175 रु० और 4,01,49,513 रुपये निगम की हानि हुई थी।

(4) निगम को लाभकारी बनाने की दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है। यह बिन्दु सरकार से सम्बन्धित है।

(5) निगम की संचित हानि 1979-80 वर्ष तक 23,19,53,818 रुपये है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इन कंडिकाओं को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है परन्तु विभाग से अपेक्षा करती है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को लाभ बनाने का प्रयास विभाग करे।

क्रमांक–7

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1974-75 की कंडिका–2 6
विभागों द्वारा आकड़ों का समाधान ।

विभागीय अधिकारियों द्वारा व्यय पर उचित नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने स्थायी आदेश जारी किये हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभागीय लेखा के आंकड़े ठीक हैं, इनको लेखा कार्यालय की बहियों में दर्ज आंकड़ों से निश्चित समय पर मिला लिया जाय। वर्ष 1974-75 में स्मार देने पर भी आंकड़ों का समाधान नहीं किया गया ।

विभागीय उत्तर

वर्ष 1974-75 से संबंधित संग्रहण तथा व्यय के आंकड़े महालेखाकार, बिहार के द्वारा सत्यापित किये गये हैं और महालेखाकार, बिहार के अंकेक्षण दल के द्वारा अंकेक्षित भी हुआ है । आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

संग्रहण के आंकड़े

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़ा	अन्तर/वृद्धि (+) वृद्धि (–) अन्तर	अन्तर की प्रतिशत
1974-75	5 85	6.00	(×) 0.15	2 56

संग्रहण पर खर्च

वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशत
		(करोड़ रुपयें में)	
1974-75	6 00	0.22	3.67

समिति का निष्कर्ष एवं शिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

क्रमांक–8

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1971-72 की कंडिका 5 (परि०–11 (*iii*)
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 की कंडिका 2.1 (*iv*)

अनुदान/विनियोग में बचत ।

अनुदान संख्या "4/8 वाहनों पर तथा सड़क एवं जल परिवहन" से संबधित वर्ष 1971-72 एवं 1979-80 में अनुदान व्यय और बचत के आंकड़े निम्नलिखित हैं:-

क्र० प्र० वर्ष	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	बचत	अध्यर्पण
		(लाख रुपयों में)				
1971-72	13 17	0 45	13 62	12.12	1.50	1.38
1979-80	475 47	71.30	546.77	454 71	92.06	91.90

उपरोक्त आंकड़ों को देखने से पता चलेगा कि बजट पर विभाग का पूर्ण नियंत्रण नहीं था जिसके चलते इतनी बचत हो गई। अनुपूरक अनुदान लेते समय भी सावधानी नहीं बरती गयी क्योंकि दोनों वर्षों में अनुपूरक अनुदान निष्फल सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल अनुदान एक भी नहीं पहुंचा। अध्यर्पण भी 31 मार्च, 1980 को किया गया।

विभागीय उत्तर

1. विभाग द्वारा बजट पर सदैव प्रभावशाली नियंत्रण रखने का प्रयास किया गया है। कुल अनुदान मिलने पर वित्त विभाग के द्वारा खास-खास मदों में व्यय नहीं करने का निदेश तथा मितव्ययिता बरतने के लिए निर्गत परिपत्र के कारण ही व्यय करना संभव नहीं हो सका और बचत की गई जिसमें समय-समय पर प्रत्यार्पण कर दिया गया।, कई मामलों में जैसे क्रय करने की स्वीकृति तथा कार्यालय के लिए मकान किराया की स्वीकृति वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष के अन्त तक नहीं मिलने के कारण भी व्यय नहीं हो पाता है।

2. मूल अनुदान प्राप्त होने पर व्यय करना शुरू किया गया और यात्रा भत्ता, वेतन तथा क्रय इत्यादि पर व्यय करने के लिए अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने हेतु वित्त विभाग से मांग की गई जिनको देखते हुए अनुपूरक अनुदान प्राप्त हुआ परन्तु वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्तिम भाग में मितव्ययिता बरतने संबंधी निर्गत परिपत्र के आलोक में तथा वित्त विभाग से क्रय एवं कार्यालय के मकान किराया की स्वीकृति नहीं होने के कारण अधिक व्यय करना संभव नहीं हो सका।

जिसके चलते बचत हो गई और इस राशि को प्रत्यार्पण कर दिया गया। कुछ राशि प्रत्यार्पण करने के लिए जब जिला स्तर से सूचना प्राप्त हुई तब तक वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया था।

3. इस विभाग में मुख्य शीर्ष "241 वाहनों पर कर, प्रशासन के मद में तथा उप-शीर्ष अन्य प्रचार वाहनों पर नियंत्रक के मद में कुछ यात्रा भत्ता तथा कार्यालय व्यय (प्रवर्त्तनशाखा के लिए मुख्यालय कार्यालय में व्यय किया जाता है) और अन्य उप-शीर्ष के उपबन्ध से प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारों मोटर यान निरीक्षकों तथा जिला परिवहन पदाधिकारियों, प्रवर्त्तन पदाधिकारियों, परिवहन दंडाधिकारियों को आवंटित किया जाता है। व्यय विवरणी विभाग में भेजा जाती है परन्तु बहुत से प्रत्यार्पण सम्बन्धी सूचनाएं जो वित्तीय वर्ष के अन्त में आती है के सभी राशि को वित्त विभाग में प्रत्यार्पण कर दिया जाता है। कई स्थानों से 31 मार्च को या कुछ दिन पहले प्रत्यार्पण की सूचना भेजी जाती है। वे सूचनाएं इस विभाग में अप्रील माह के प्रथम सप्ताह तक पहुंचती हैं जिससे प्रत्यार्पण करना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति बहुत कम होती है और उसे व्ययगत (लैप्स) समझा जाता है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इन कंडिकाओं को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

क्रमांक-9

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1970-71 की कंडिका-72 (परिशिष्ट-viii)
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1971-72 की कंडिका-74 (परिशिष्ट-vii)
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1972-73 की कंडिका 5.7
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1973-74 की कंडिका-3 2
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1974-75 की कंडिका-3.18
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1975-76 की कंडिका-3.15
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1976-77 की कंडिका-3 18
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1977-78 की कंडिका-3.9
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978-79 की कंडिका-3.13
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 की कंडिका-3.26 (परिशिष्ट-1.18)

गबन/दुर्विनियोजन

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 की कंडिका-3 26 (परिशिष्ट-3.18) में राजनैतिक तथा परिवहन विभाग से सम्बन्धित दो मामले दिखाये गये हैं। ब्योरा निम्न प्रकार हैं :—

1. राज्य ट्रान्सपोर्ट कार्यालय, पटना में श्री आर० पी० सिंह, खजांची द्वारा 27,245 रुपये का गबन।
2. जिला परिवहन कार्यालय, गया में 32,712 रुपये का गबन।

विभागीय उत्तर

क्रमांक 37 में उत्तर दिया गया है जहां तक जिला परिवहन पदाधिकारी, गया के कार्यालय से संबंधित है। खजांची के द्वारा 27,245 रुपये गबन करने के लिए उत्तर अप्राप्त है। स्मार दिया गया है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि गबन के दोनों मामलों के अन्तिम निपटारे से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराया जाय।

क्रमांक 10

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 की कंडिका-8 1

बकाया लेखा परीक्षा निरीक्षाएं

केन्द्रीय लेखा परीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण आपत्तियों को महालेखाकार के द्वारा विभाग को समाधान हेतु भेजा जाता है। परिवहन विभाग से संबंधित इसी तरह की आपत्तियां जो 31 मार्च, 1980 तक निर्गत और सितम्बर, 1980 तक लम्बित 9 मामले जिसमें 0.57 लाख रुपये निहित हैं निष्पादन हेतु लम्बित थे। मामलों का अर्द्ध वार्षिक विवरण प्रत्येक छमाही विभाग को आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित किया जाता है कि इनके निष्पादन में तीव्रता लायें।

विभागीय उत्तर

1. महालेखाकार, बिहार से ज्योंहि निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत होने की सूचना प्राप्त होती है निदेशानुसार विभाग के द्वारा संबंधित कार्यालय को अनुपालन

प्रतिवेदन सीधे महालेखाकार, बिहार को तथा उसकी एक प्रति विभाग में भेजने के लिए निदेश दिया जाता है।

महालेखाकार के द्वारा आपत्तियों को निराकरण कर संबंधित कार्यालय को सूचना दे दी जाती है। यदि कोई गंभीर अंकेक्षण आपत्तियाँ जैसे गबन/दुर्विनियोजन की रहती है, तो उसे विभाग के द्वारा भेजे गये अनुपालन पर मंतव्य देकर महालेखाकार को भेज दिया जाता है। वित्त विभाग से भी लम्बित अंकेक्षण आपत्तियों की सूची आती है जिसे आवश्यक अनुपालन के लिए संबंधित कार्यालय को निदेश दिया जाता है।

2. अद्यतन स्थिति की जानकारी करने के लिए सभी संबंधित कार्यालयों को लिखा गया है। सूचना प्राप्त होने पर वस्तुस्थिति की जानकारी करा दी जायगी।

समय-समय पर होनेवाली विभागीय पदाधिकारियों की बैठक में निदेशों की त्वरित अनुपालन को सुनिश्चित करने पर बल दिया जाता है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि :—

1. सभी बकाये लेखा परीक्षा निरीक्षाओं का निपटारा जल्द-से-जल्द किया जाय, इन्हीं अनुशंसाओं के साथ समिति अब इन कंडिकाओं को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

(क्रमांक 11.)

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1971-72 की कंडिका-8 4

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1972-73 की कंडिका-8 3

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 की कंडिका-8.2

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 (रा० प्रा०) की कंडिका-1.7

(बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन)

स्थानीय लेखा परीक्षा के दौरान देखी गयी अनियमितताओं जिनका तत्काल समाधान नहीं हुआ था, विभागों के पास निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से समाधान हेतु भेजी जाती हैं और विभाग से अनुरोध किया जाता है कि वे छः सप्ताह के अन्दर इन निरीक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर महालेखाकार

को प्रेषित करे पर देखा गया कि बहुत से निरीक्षण प्रतिवेदन निष्पादन हेतु 31 मार्च 1980 तक लम्बित हैं इनमें कुछ प्रतिवेदन तो ऐसे हैं जिनका प्रथम उत्तर भी प्रेषित नहीं किया गया जिनका ब्योरा निम्न प्रकार हैं:--

अकेक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	कंडिकाओं की सख्या	निरीक्षण प्रतिवेदनों की सख्या जिनका प्रथम उत्तर भी नहीं भेजा गया।	निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत होने का प्रथम वर्ष।
20 (सिविल)	42	—	—
18 (रा०प्रा०)	917	165	1972-73

विभागीय उत्तर

1 सिविल से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाएं लम्बित नहीं हैं। सिर्फ राजस्व प्राप्ति से संबंधित कुल 917 कंडिकाओं में से 165 निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या है जिनका प्रथम उत्तर भी नहीं भेजने की अंकेक्षण आपत्ति है। इस संबंध में यह सूचित करना है कि राजस्व प्राप्तियों से संबंधित अकेक्षण आपत्तियां प्राय: जिला परिवहन पदाधिकारियों तथा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारों के कार्यालय से संबंध रखती हैं और पूर्ण रुप से आपत्तियों के निष्पादन करने के लिए कारवाई करने पर भी अंतिम निष्पादन नहीं हो पाता है क्योंकि कर वसूली के लिए डिमांड नोटिश दिये जाते हैं, नहीं वसूली हुई राशि के लिए सर्टिफिकेट केस किये जाते हैं जिसके निष्पादन मे विलम्ब होना स्वाभाविक है।

2 उपर्युक्त स्थिति में प्रथम उत्तर देने में भी उन संबंधित कार्यालय को कठिनाई हो जाती है। विभागीय पदाधिकारियों को महालेखाकार को प्रथम उत्तर अविलम्ब देने के लिए निदेश दिया गया है।

3 संबंधित कार्यालयों को समय पर महालेखाकार, बिहार को सीधे अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का निदेश हैं और उसकी एक प्रति इस विभाग में भी कम कर लाने तथा बकाया कर की वसूली के लिए संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों के कार्यालय से डिमांड नोटिश दिये जाते हैं तथा सर्टिफिकेट केस भी किये जाते हैं जिससे कुछ वसूली हो जाती है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इन कंडिकाओं को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है परन्तु विभाग से अपेक्षा करती है कि सभी बकाये बड़े निरीक्षण प्रतिवेदनों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाय।

क्रमांक-12 अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1973-74 (रा० प्रा०) की कंडिका 6.1

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को संविधान से अधिक दी गयी रियायतें

बिहार कराधान अधिनियम, 1961 के अनुसार सवारी और माल पर गाड़ी के मालिक को दिये जाने वाले किराया भाड़े का 12½ प्रतिशत से दर से कर लगाया जाता है। पहली दिसम्बर, 1971 से कर की दर 12½ प्रतिशत से 20 प्रतिशत बढ़ायी गयी और एक रुपये या अधिक के मूल्य के यात्री टिकटों पर 5% अतिरिक्त भार लगाया गया। इन उपबंधों के अनुसार वाणिज्यिक कर आयुक्त ने गाड़ी में बैठने की क्षमता तथा तय की गयी दूरी के आधार पर संविरचना फीस की दर निश्चत की है।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के कर निर्धारण की नमूना जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं देखने में आईः—

1. कर निर्धारण वर्ष 1965-66 से 1968-69 तथा 1971-72 के बाद के वर्षों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 285 के अधीन डाक मेल बैग की ढुलाई संबंधी प्राप्तियों को कर निर्धारण से मुक्त रखा गया किन्तु पुनः उस पर अन्य वर्षो में कर निर्धारण हुआ। कोई कर अनुच्छेद 285 के सीमान्तर्गत तभी आयेगा जब वह सम्पति कर लगाया गया है। इसलिए दी गयी छूट अनियमित थी क्योंकि ये छूट संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 56 के अन्तर्गत आता है। 31 मार्च 1972 तक 12½ प्रतिशत की दर से और इसके बाद 20 प्रतिशत की दर से 1960-61 से 1971-72 तक की कुल आय 14,38,248 रुपये पर और 1972-73 के लिए 77,138 रुपये पर 62,152 मांग कर के समायोजन के बाद 1,32,687 रुपये के कर का अवनिर्धारण हुआ।

े लिए 1968-69 वर्ष के लिए उगाही गयी राशि को प्रेषित करे पर देल्र के योग्य नहीं समझा गया जब कि 1965-66 के हेतु 31 मार्च 198ण अधिकारी ने आरक्षण शुल्क को किराया के अधिभार जिनका प्रथम उत्तर।ान माना था और कटौती के दावे को अस्वीकृत कर दिया। र 12½ प्रतिशत की दर से 6,580 रु० संग्रहणीय कर होता है।

अंकेक्षण प्रमील की दूरी पर निगम को संविरचना योजना की सुविधा प्राप्त संख्यकी अनुमति दी गयी यद्यपि निगम पहली दिसम्बर, 1971 के पहले और 31 मार्च 1972 तक प्रत्येक श्रेणी की गाड़ियों द्वारा तय की गयी दूरी का आंकड़ा नहीं दे सका। इसलिए तय की गयी दूरी को दो अवधि के बीच 2/3:1/3 के आधार पर प्रभाजित कर संविरचना शुल्क लगाया गया 5% अतिरिक्त कर लगाने के लिए प्राप्तियों के 1/3 का 50 प्रतिशत भाग को मान्य समझा क्योंकि निगम ने संबंधित आंकड़े नहीं प्रस्तुत किये। बिहार राज्य परिवहन निगम की मासिक प्राप्तियों से नवम्बर, 1971 के अन्त तक 4 67,16,680 रुपये और दिसम्बर, 1971 से मार्च 1972 तक 3,10,6884 रु० की वास्तविक प्राप्तियों और वर्ष के अन्त में 6,81,482 रुपये का समायोजन 60% से 40 का अनुपात दर्शाता है। वास्तविक आंकड़ों के अभाव में अवनिर्धारण की राशि को जानकारी नहीं हो सकी।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस संबंध में विभाग से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

अंकेक्षण आपत्ति का उत्तर नहीं देना एक चिंता का विषय है जिस पर समिति अपना क्षोभ प्रकट करती है और अनुशंसा करती है कि:--

1. अंकेक्षण आपत्ति का उत्तर नहीं देनेवाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाय,

2. इस कंडिका में वर्णित अंकेक्षण आपत्ति का पूर्ण एवं संतोषजनक उत्तर समिति को छः माह के अन्दर दिया जाय।

क्रमांक--13 अंकेक्षण प्रतिवेदन 1973-74 की कंडिका 6 2

गलत दर लागू किए जाने के कारण सवारी कर का अवनिर्धारण।

ऐसी गाड़ी जो निश्चित सड़क पर चलती है और निश्चित स्थान पर रुकती हैं, डाक गाड़ी के संबंध में इस तरह की संविरचना फीस, गाड़ी में बैठने की क्षमता तथा तय की गयी दूरी पर आधारित है।

31 मार्च 1972 तक देय संविरचना फीस की दर के तुलना में संशोधन के कारण संविरचना फीस की दर में वृद्धि हुई। वर्ष 1972-73 मे कर निर्धारण के 14 मामले 31 मार्च 1972 तक प्रचलित दर पर निबटाये गये, फलस्वरुप 79, 347 रुपये का कम कर निर्धारण हुआ।

विभागीय उत्तर

1 सात जिला परिवहन पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों से यह पता चलता है कि गलत दर लागू किये जाने के कारण सवारी कर का जो अवनिर्धारण हुआ है उसकी वसूली गाड़ी मालिकों से की गयी है। जिनसे वसूल नहीं हो सकी उन पर डिमांड नोटिश किये गये हैं जिससे कुछ वसूली हुई है और जोर रकम वसूली के लिए बच गयी है उन पर सार्टिफिकेट केस किया गया है। कुछ गाड़ी मालिकों का गलत पता रहने के कारण सार्टिफिकेट केस करना संभव नहीं है। दर में की गयी बृद्धि की सूचना ज्योंहि जिला परिवहन कार्यालय को प्राप्त हुई तब से गलत दर लागू नहीं की गयी। इससे किसी पदाधिकारी को दोषी ठहराने का प्रश्न नहीं उठता है। कुछ मामले आरक्षी अधीक्षक के समय के हैं जिन पर अब कोई कार्रवाई करना संभव नहीं दिखता है।

2 कर वसूली की अद्यतन स्थिति इस प्रकार है:

जिला परिवहन पदाधिकारी, गिरीडीह:--कुल 3,135'74 रु० की क्षति हुई है जिनमें से चार गाड़ी मालिक ने भुगतान कर दिया है। दो गाड़ी मालिक पर सार्टिफिकेट हुआ। प्रोसिडिंग चल रही है। शेष गाड़ी धनबाद एवं हजारीबाग में कर भुगतान कर रही है।

जिला परिवहन पदाधिकारी, चाईबासा:--अन्तर्जिला सत्यापन जारी है। बकाया कर वसूली हेतु क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी, सुन्दरगढ़, राउरकेला/जिला

परिवहन पद , जमशेदपुर को उनके ज्ञापांक 330, दिनांक 11 जून 1976 से अनुरोध किया गया था, स्मार भी दिया जा रहा है। वर्ष 1972-73 में पथ कर के अनुसार ही वसूली की गयी है। 65 125 रु० के विरुद्ध 60 710 रु० की वसूली हो चुकी है। शेष राशि के लिए डिमांड नोटिश तथा सार्टिफिकेट केस किया जा रहा है।

जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय:—गाड़ी मालिक की पंजी में उपलब्ध पता पर डिमांड नोटिश भेजी गयी, परन्तु गलत पता रहने के कारण सर्व नहा किया जा सका। इनके कारण सार्टिफिकेट दायर करना संभव नहीं दिख पड़ रहा है।

जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर:—कुल 24 गाड़ी मालिकों पर 1.276 35 रु० की वसूली के लिए सार्टिफिकेट केस किया गया था इसमें से तीन गाड़ी मालिकों से कुल 90 00 रु० की वसूली नहीं की जा सकी है

जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू:—135 00 रुपये की कम वसूली गाड़ी सं० बी० आर ओ-79 के लिए सार्टिफिकेट केस दायर करने का कार्रवाई की जा रही है। टैक्स वसूल करने के लिए ही इस गाड़ी को टैक्स टोकन नहीं दिया जा रहा है। यह आपत्ति आरक्षी अधीक्षक के कार्य काल का है तथा इस कारण कार्रवाई करने में कठिनाई हो रही है।

जहां तक 1,216 20 रुपये राजस्व की हानि गाड़ियों के गलत वर्गीकरण के कारण बतलायी जाती है, इसके संबंध में यह कहना है कि मिनी बस सं० बी आर ओ—2477 जो सेन्ट्रल कोल फिल्ड लि०, रणहरा ग्रूप के नाम से है उसे स्कूल बस के लिए व्यवहार किया जाता है और इससे कर वसूली बिहार एवं उड़ीसा मोटर करारोपण नियमावली के नियम 8 के उप-नियम 2-9 के उपबंधों के अनुसार की गयी है, अत: इसे हानि नहीं समझा जाय।

जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णियां:—बकाये रकम की वसूली के लिए विहित प्रक्रिया सर्टिफिकेट केस करने के लिए अपनायी गयी है और कुछ मामले में गाड़ी मालिक का पता सही-सही नहीं रहने के कारण सर्टिफिकेट केस करना संभव नहीं दिख पड़ रहा है।

जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग:—जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने सूचना दी है कि ऐसे मामलों में बकाया की वसूली नियमानुसार

किश्त पर कर दी गयी और जिसके कारण वसूली हुई । अन्य मामलों में सर्टिफिकेट केस कर दिया गया ।

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई के संबंध में यह कहना है कि बकाये राशि की वसूली जहां तक संभव हो रही है, जिला परिवहन पदाधिकारियों के द्वारा की गयी है और पुराने मामलों के लिए डिमांड नोटिश भेजी गयी है तथा इसके बाद वसूली नहीं होने पर सर्टिफिकेट केस भी कर दिया गया है। बहुत से गाड़ी मालिकों का पता नहीं मिल रहा है जिसके कारण न तो डिमांड नोटिश सर्व्ड किया जा रहा है और न सर्टिफिकेट केस ही किया जा सका। कुछ मामले आरक्षी अधीक्षक के समय की है। अतः दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में कठिनाई है।

"2" कंडिका 1 में ही इसका उत्तर सम्मिलित है।

सभी 22 जिला परिवहन पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी, परिवहन, बोकारो तथा आरक्षी अधीक्षक, बेतिया को उत्तर देने के लिए लिखा गया था परन्तु सिर्फ सात जिला परिवहन पदाधिकारियों के द्वारा उपर्युक्त उत्तर दिया गया है। शेष पदाधिकारियों को उत्तर देने के लिए स्मार दिये गये हैं।

सभी गाड़ियों के निबंधन के नवीकरण का प्रावधान बनायी जा रही है और इसके बाद सभी गाड़ी मालिकों का पता पूरा कर लिया जायगा और जो गाड़ियां गुप्त हो गयी हैं उनका निबंधन रद्द कर दिया जायगा।

नयी गाड़ियों के निबंधन के समय पूरा पता दर्ज करने के लिए निदेश दिया गया है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि:—

1 अव निर्धारण के बकाये बची सभी राशियों की वसूली जल्द से जल्द की जाय,

2 इस कार्य में पाये गये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाय,

की गयी कार्रवाई से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराया जाय।

क्रमांक–14

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1973–74 (रा० प्रा०) की कंडिका 6.3 बैंधता फीस का संग्रह न करना।

यातायात गाड़ी के प्रत्येक मालिक को उचित परिवहन अधिकारी से आज्ञा पत्र लेना है। गाड़ी नियम, 1940 के अन्तर्गत यह भी एक शर्त है कि विहित फीस की वार्षिक अदायगी करना है। क्षेत्रीय यातायात अधिकारी के तीन कार्यालयों में प्रथम वर्ष बैंधता फीस के संग्रहण के बाद 348 टैक्सियों को तीन वर्षों के लिए परमिट दिये गये। परवर्त्ती दो वर्षों के लिए वार्षिक बैंधता फोस जो फरवरी, 1971 से मई, 1974 तक देय थी, गाड़ी मालिकों द्वारा नहीं दिया गया। परिणामत: 1,29,552/ रुपये कर की हानि हुई।

विभागीय स्पष्टीकरण

निम्नलिखित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारों के उत्तर से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार के द्वारा समय समय पर वसूली करने के लिए परिपत्र निर्गत किये जाते हैं:—

कोशी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, सहरसा—कुछ परमिटधारियों से बैंधता फीस वसूल की गयी है और कुछ परमिटधारियों से बैंधता फीस वसूल करने के लिए संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी एवं प्रवर्त्तन पदाधिकारी को लिखा गया है कि गाड़ियों के चेकिंग के दौरान ऐसी गाड़ियों को यदि मार्ग पर चलते पाये जाय तो बैंधता फीस वसूल किया जाय। इसका कोई प्रतिफल नहीं निकलने के कारण संबंधित परमिटधारियों के विरुद्ध प्राधिकार के स्तर से निलाम पत्र पदाधिकारी के यहां केस दायर किया गया जो लम्बित है। किन्तु अपर राज्य परिवहन आयुक्त, पटना के पत्रांक ए2-3039/72 परि० पार्ट–5221, दिनांक 3 जुलाई, 1973 के निदेशानुसार तीनों साल की फीस को एक साल देने के बजाय नन मीटर स्पेशल टैक्सी के प्रत्येक परमिट पर लाल स्याही से स्पष्ट आदेश लिख दिया जाता रहा था कि परमिट निर्गत तिथि से एक साल पूरा होने की तिथि तक या उससे पूर्व अगर अगले साल की मान्यता फीस जमा नहीं दिया जायगा तो परमिट मान्य नहीं समझा जायगा। इस कारण अगले दो वर्षों की मान्यता फीस वसूली करने का प्रश्न ही नहीं रह जाता है।

2. उत्तर बिहार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार—परमिट की मान्यता फीस वसूल प्राधिकार द्वारा नहीं किये जाने के कारण सरकारी आदेश जी एस० आर सं०—88, दिनांक 4 सितम्बर, 1972 ई जिसके अनुसार बिहार मोटर गाड़ी नियमावली के नियम 53 (1 1 बी) के प्रावधानों के प्रतिकूल यह आदेश था कि नन मिटर टैक्सी एवं स्पेशल टैक्सी में परमिट की मान्यता शुल्क प्रतिवर्ष 220 रु० एवं 300/रु० 15 जनवरी, तक वसूला जाय। इसके अलावे टैक्सी एवं जनता मालवाहक के प्रपत्र बी० वी० यू० सी० में क्रमांक—11 परमिट पार्ट प्रत्येक ए के प्रपत्र वी को बी० ए० के पत्रांक 14 में भी यह प्रावधान था की मान्यता शुल्क प्रत्येक साल के पहले या 15 जनवरी, तक देय होगा। यह प्रक्रिया 1 जुलाई, 1975 तक लागू रही जब तक कि मोटर गाड़ी नियमावली के नियम 53 (ए) (1) में सरकारी आदेश जी० एस० आर० सं०—52 दिनांक 1 जुलाई, 1975 द्वारा संशोधन कर यह प्रावधान नहीं हुआ कि तीन साल या पांच साल के लिए परमिट शुल्क एक ही साथ लिया जाय। 1 जुलाई, 1975 के बाद सारे टैक्सी परमिट संपूर्ण शुल्क लेकर ही निर्गत किये गये हैं।

इस संबंध में राज्य परिवहन आयुक्त, पटना के आदेश सं०—202, दिनांक—22, 24, 2, 68 में यह स्पष्ट आदेश था कि द्वितीय वर्ष की मान्यता शुल्क के लिए जोर नहीं दिया जाय। इस प्राधिकार द्वारा नन मीटर और स्पेशल टैक्सी परमिट निर्गत करते समय यह शर्त्त हर परमिट में लगा दिया जाता है।

"This permit will not be valid after unless the amount of revenue validity is paid before thatdate."

अंकेक्षण आपत्ति होने पर सभी परमिटधारियों को नोटिश दी गई थी कि परमिट मान्यता फीस की रकम जमा करें। कुछ परमिटधारियों ने मान्यता की रकम अदा भी कर दिया।

(*i*) जिन गाड़ी मालिकों के द्वारा वैधता फीस अभी तक नहीं दी जा सकी है उस पर नोटिश देने की कार्रवाई की जा रही है।

(*ii*) बिहार मोटरगाड़ी नियमावली के नियम 53 (2) (बी0) के अनुसार सिर्फ नोटिश देकर ही मान्यता फीस वसूल करने की कार्रवाई की जा सकती है ऐसे कोई भी दोषी व्यक्ति नहीं ठहराए जाते हैं।

3 दक्षिण छोटानागपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, रांची के द्वारा सूचना दी गयी है कि इस कार्यालय से संबंधित विहित बकाया फीस 27,350 रु0 अंकेक्षण के द्वारा बतलाया गया है, 64 टैक्सियों के विरुद्ध 10,340 रु0 की वसूली हो चुकी है ।

चूंकि 1976 मे हजारीबाग एवं धनबाद जिला इस क्षेत्र से अलग हो गया इसलिए 11,710 रु0 बकाये राशि की वसूली के लिए हजारीबाग परिवहन प्राधिकार को लिखा गया है । 5,310 रु0 की वसूली हो चुकी है और शेष 4,770 रु0 वसूली के लिए संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी का लिखा गया है ।

4 पूर्व बिहार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार भागलपुर-- संबंधित संचालकों से वर्ष 1973 से ही बकाया वैद्यता शुल्क जमा करने के लिए कहा गया है और सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटर यान निरीक्षक, परिवर्त्तन पदाधिकारी चलन-दस्ता निरीक्षक को इसके लिए लिखा गया है ।

कोशी प्राधिकार की स्थापना जब 1974 में हुई तो उससे संबंधित विवरणी 1975--76 तथा 1977 में भी भेज दी गई ।

वैद्यता फीस की वसूली के सिलसिले में राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा पत्र सं0 ए 2-3069 । ए स0 टी0 सी0-8448, दिनांक 15 सितम्बर 1969 तथा ज्ञापं सं0 ए 2 3029 । 72 पार्ट परि0 5221, दिनांक 3 जुलाई 1973 जारी किए गए हैं कि जब परमिटों पर समूचित शर्त्त लिख दिया जाता था तब बकाया का सवाल नहीं रह जाता है क्योंकि अग्रिम वैद्यता फीस नहीं देने पर लिखित शर्त्त के अनुसार परमिट की मान्यता अवधि समाप्त हो गई ।

जिला परिवहन पदाधिकारियों की बैठक में इस बात पर बल दिया गया है कि वैधता फीस की वसूली संबंधित गाड़ियों के मालिकों से की जाय ।

जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया के द्वारा यह सूचना दी गई है कि वैधता फीस की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केश की कार्रवाई की गई है ।

सभी बकाये शुल्क के देने पर ही परमिट निर्गत किया जाता है । अत: किसी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता ।

इस संबंध में जब नियम में संशोधन कर दिया गया है और पुरी अवधि का शुल्क लेने के उपरान्त ही अब परिमिट निर्गत होते हैं ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है परन्तु विभाग से अपेक्षा करती है कि इस तरह की फीस जो वसूली केलिए बची हुई है उसकी वसूली जल्द से जल्द कर ली जाय।

क्रमांक-15—

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1973-74 (रा० प्रा) की कंडिका 6.4

मोटरगाड़ी पर कर न लगाया जाना

अधिनियम 1939 के अनुसार गाड़ी के मालिकों को अपना पता और वाणिज्यक के स्थान के परिवर्त्तन का पता निबंधन अधिकारी को देना पड़ता है। दूसरे निबंधन अधिकारी को मूल निबंधन अधिकारी को स्वामित्व परिवर्त्तन की सूचना 14 दिनों के अन्दर देना है जिससे मूल बही में उसकी सूचना अंकित हो सके। विहित कर की उगाही तथा बिना टैक्स टोकन प्राप्त किये गाड़ी चलाना अवैध है। 17 निबंधन अधिकारियों के अभिलेखों से पता चला कि 31 मार्च, 1974 तक 2 से 8 वर्ष तक 1307 गाड़ियों का टैक्स नहीं दिया गया था। देय करों की वसूली के लिये विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

विभागीय उत्तर

निम्नलिखित स्थिति है:—

(क) जिला परिवहन पदाधिकारी सहरसा 31 मार्च, 1974 तक के आंकड़े के लिए प्रतिवेदन मांगा जा रहा है, स्मार दिया गया है उत्तर अप्राप्त है।

(ख) जिला परिवहन पदाधिकारी, जमशेदपुर ने सूचित किया है कि उनके कार्यालय के उपलब्ध अभिलेख से ऐसा कोई मामले का पता नहीं चला और वाणिज्यक के स्थान परिवर्त्तन तथा स्वामित्व के परिवर्त्तन की सूचना पूर्व निबंधन पदाधिकारी को निश्चित रुप से की जाती है।

(ग) जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगुसराय ने सूचित किया है कि इस कंडिका में वर्णित गाड़ियों से बकाये कर की वसूली करा ली गयी है। महालेखाकार बिहार के पत्र दिनांक 21 अप्रील, 1976 द्वारा इस कंडिका के निष्पादन का अनुमोदन भी किया जा चुका है।

(घ) जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर से ज्ञात हुआ है कि बकाये करों की वसूली के लिए 244 मामलों में डिमाण्ड नोटिस निर्गत किया गया है

तथा आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुल डिमाण्ड 40,77,172=67 रु० की है जिसमें से 25,925 रु० की वसूली हो चुकी है।

(ङ) जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने सूचना दी है कि अन्य जगहों से इस जिला में आयी गाड़ियों का जब भी स्वामित्व स्थानान्तरित किया जाता है तब उसकी विधिवत सूचना मूल निबंधन पदाधिकारी को फारम सी० आर० टी० आई० में नियमित रुप से निर्गत किया जाता है।

बेगुसराय तथा भागलपुर से बकाये करों की वसूली की सूचना जो प्राप्त हुई है वह ऊपर अंकित है। साधारणत: टैक्स टोकन निर्गत करने के समय महालेखाकार के निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों की आपत्तियों के अनुसार वसूली की जाती है और जिन-जिन मालिक गाड़ियों से वसूली नहीं हो सकी है उसके लिए डिमाण्ड नोटिस निर्गत की जाती है तथा अन्त में शेष लम्बित राशियों के लिए सर्टिफिकेट केस किये जा रहे हैं।

17 निबंधन पदाधिकारियों में से सिर्फ पांच निबंधन पदाधिकारियों का उपर्युक्त उत्तर प्राप्त हुआ है शेष सभी निबंधन पदाधिकारियों को स्मार दिये गये हैं।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है परन्तु विभाग से अपेक्षा करती है कि जहां इस तरह के कर बकाया हों उन्हें जल्द-से-जल्द वसूल कर लिया जाय।

क्रमांक-16

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1973-74 (रा० प्रा०) की कंडिका 6.5

यान दुरुस्ती प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए फीस की उगाही न होना

ट्रेलर और ट्रैक्टर द्वारा खींचने वाले ट्रेलर भी मोटर यान में आते हैं उनका भी निबंधन जरूरी है और उन्हें भी दुरुस्ती प्रमाण-पत्र प्राप्त करना है। दो कार्यालयों के अभिलेख से पता चलता है कि 1972-73 और 1973-74 की अवधि में 162 मामले निबंधित किये गए, परन्तु दुरुस्ती प्रमाण-पत्र नहीं दिए गए, परिणाम स्वरूप 80 रुपये प्रति यान की दर से 12,960 रुपये फीस की उगाही नहीं हो सकी।

विभागीय उत्तर

यान दुरुस्ती प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए फीस की उगाही होने की स्थिति निम्न प्रकार है :—

1. मोटरयान निरीक्षक सहरसा ने सूचित किया है कि वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 में 65 ट्रैक्टर ट्रेलर का निबंधन हुआ है। जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय से अनुरोध किया गया है कि संबंधित गाड़ियों के मालिकों को दुरुस्ती प्रमाण-पत्र जमा करने हेतु नोटिस देने की कारवाई की जाय।

2. मोटरयान निरीक्षक पूर्णियां ने सूचित किया है कि जिला परिवहन कार्यालय से वांछित सूचना संग्रह कर संबंधित गाड़ी मालिकों को दुरुस्ती प्रमाण-पत्र जमा करने हेतु नोटिस दे की कारवाई करने का अनुरोध किया गया है।

3. मोटरयान निरीक्षक जमशेदपुर ने सूचित किया है कि निबंधन पदाधिकारी द्वारा जो भी वाहन व्यवसायिक वर्ग में निबंधित किया जाता है उन सभी को निर्धारित दुरुस्ती शुल्क जमा करने के पश्चात ही दुरुस्ती प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया जाता है।

   अतः वसूली की कारवाई और उसकी अद्यतन स्थिति से यह कार्यालय संबंधित नहीं है। इस तरह प्रतिवेदन शून्य समझा जाय।

4. मोटरयान निरीक्षक चाईबासा ने सूचित किया है कि विचाराधीन वर्ष में कोई ऐसा मामला नहीं है।

5. मोटरयान निरीक्षक मुजफ्फरपुर ने सूचित किया है कि मात्र 68 मामले हैं जिनका कुल रुपया 5,440 उगाही करना है। जिन मालिकों के पास ट्रैक्टर तथा ट्रेलर हैं उनका पूरा पता जिला परिवहन पदाधिकारी से मांगा जा रहा है ताकि उनको नोटिस देकर उगाही कार्य पूरा किया जा सके।

6. मोटरयान निरीक्षक दरभंगा ने सूचित किया है कि समय के बाद दुरुस्ती प्रमाण-पत्र लेने के लिए कोई रकम जमा करने का प्रावधान नहीं है जिन वाहनों ने दुरुस्ती प्रमाण-पत्र नहीं दिया है उसकी सूची संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी को उचित कारवाई करने के लिए लिखा गया है।

7. मोटरयान निरीक्षक बोकारो ने सूचित किया है कि इस अवधि में कोई ऐसा मामला नहीं है ।

8 मोटरयान निरीक्षक धनबाद ने सूचित किया है कि ऐसा कोई मामला उनके कार्यालय में लम्बित नहीं है ।

9. मोटरयान निरीक्षक मोतिहारी के लिपिक ने सूचना दी है कि निरीक्षक छुट्टी में है उनके आने पर वांछित सूचना दे दी जायगी । स्मार दिये गये हैं, उत्तर अप्राप्त है ।

10. मोटरयान निरीक्षक रांची ने सूचित किया है कि उनके कार्यालय में कोई मामला नजर नहीं आता है ।

11. मोटरयान निरीक्षक भागलपुर ने सूचित किया है कि इस जिला में सिर्फ ट्रैक्टर का निबंधन वर्ष 1972-73 में 51 तथा वर्ष 1973-74 में 34 हुआ है जैसा कि निबंधन पुस्तिका को देखने से पता चलता है कि ये सभी कृषि कार्य हेतु निबंधित हुई है एवं कोई भी ट्रैक्टर इसमें सलग्न नहीं हुई है और निबंधित भी नहीं हुई है अतः दुरुस्ती प्रमाण-पत्र जारी करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

12. मोटरयान निरीक्षक धनबाद ने सूचित किया है कि उनके यहां ऐसे मामले का पता नहीं चलता है ।

13. मोटरयान निरीक्षक छपरा के प्रतिवेदन से पता चलता है कि ऐसा कोई मामला विचाराधीन वर्ष में नहीं है ।

14 मोटरयान निरीक्षक पलामू ने सूचित किया है कि वर्ष में ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है ।

15. मोटरयान निरीक्षक गया के प्रतिवेदन से विषयाधीन वर्ष का कोई मामला नहीं है ।

16. मोटरयान निरीक्षक गिरिडीह के प्रतिवेदन से पता चलता है कि विषयाधीन वर्ष में कोई ऐसा मामला नहीं है ।

शेष नवमोटरयान निरीक्षकों को उत्तर देने के लिए लिखा गया है और स्मार भी दिये गये हैं । उत्तर आने पर समिति को जानकारी करा दी जायेगी ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है परन्तु विभाग से अपेक्षा करती है कि इस तरह के बकाये फीस की वसूली जल्द से जल्द की जाय।

क्रमांक-17

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1974-75 (रा० प्रा०) की कंडिका (42)

(प्राप्त किराया और भाड़ा का गलत निर्धारण:)

बिहार सवारी तथा माल पर कराधान अधिनियम, 1961 के अधीन सवारी तथा माल पर कर, लोक सेवा मोटर गाड़ी के मालिकों को देय किराया और भाड़ा के प्रतिशत के रूप में निश्चित किए जाते हैं, अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यान मालिक द्वारा कर निर्धारण प्राधिकारी को विहित विवरणी प्रस्तुत करने की व्यवस्था है जिसमें वसूला गया भाड़ा और किराया दिखाया जाता है। विवरणी नहीं प्रस्तुत करने पर या अपूर्ण विवरणी प्रस्तुत करने पर कर निर्धारण प्राधिकारी अपने उच्चतर विवेक के आधार पर कर लगाने को सक्षम है। अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में संविरचना योजना बनाने की व्यवस्था है जिसमें विहित शर्तों के पूरा करने पर एक यान मालिक को कर देने के बदले अधिसूचित निश्चित फीस चुकाने की अनुमति दी जा सकती है। लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि कुछ मामलों में गलत दरों को लागू करने से संविरचना शुल्क का आरम्भिक निर्धारण गलत हो गया जिस कारण किराया और भाड़ा से प्राप्त आय का अधोनिर्धाण हुआ जिसके फलस्वरूप कर का अव निर्धारण हुआ।

(क) वाणिज्य का अंचल गिरिडीह के अन्तर्गत बसों के एक समूल के मालिक द्वारा संविरचना योजना के अन्तर्गत 1972-73 के लिए कर की अदायगी के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र विहित शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया और कर उच्चतम विवेक के आधार पर निर्धारित किया गया। संविरचना शुल्क गलत रूप से 56,283 रूपये निकाला गया।

इस आधार पर वर्ष के लिए किराया और भाड़ा से प्राप्त आय 2,85,000 रू० लगाया जो उपरोक्त निकाले गए संविरचना शुल्क का पांच गुणा था। देय कर 57,000 रुपये निर्धारित किया गया (2,85,000 रुपये का 20 प्रतिशत) किन्तु

संविरचना शुल्क की दर पहली अप्रील 1972से संशोधित की गयी। और किराया और भाड़ा से प्राप्त आय, 1972-73 के दौरान लागू होनेवाली सही दर पर मूल कर के संबंध में संविरचना शुल्क के आधार पर निर्धारित किया जाता तो इस मामले में कुल आय 3,67,100 रुपये आता जिस पर देय कर 73,420 रुपये होता। इस प्रकार 16,420 रुपये की राशि के कम करका निर्धारणहुआ।

पहली दिसम्बर, 1971 से मूल कर के अलावे एक रुपया और अधिक मूल्य के टिकटों के किराया पर 5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर लगाया गया और तद-नुसार संविरचना शुल्क की दर भी अधिसूचित की गयी किन्तु अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया जिससे 14 515 रुपये का और कम कर निर्धारण हुआ।

(ख) वाणिज्य कर अंचल चाईबासा में बसों के समूह चलानेवाले करदाता का संविरचना योजना के अन्तर्गत 1972-73 के कर का निर्धारण उच्चतम विवेक के आधार पर कर दिया गया।

संविरचना शुल्क 27, 184 निकाला गया और इस आधार पर किराया और भाड़ा से वर्ष की अनुमानित आय 1 37,500 रुपये निर्धारित किया गया। देय कर तब 27,500 रुपये निर्धारित हुआ। (1 37,500 रुपये का 20 प्रतिशत) संविरचना शुल्क की संशोधित दर जो पहली अप्रील, 1972 से लागू हुई अनुमानित आय 1,89,711 रुपये आती और देय कर 37,942 रुपये होता। इस प्रकार आय को गलत नियत करने के कारण 10,442 रुपये का कम कर निर्धारण हुआ।

मालिक पर 300 रुपये का अतिरिक्त कर निर्धारित किया गया था। अतिरिक्त कर पर लागू संविरचना शुल्क की दर से संगणना करने पर पता चला कि 8,034 रुपये का कम कर निर्धारण हुआ।

(ग) एक अन्य मामले में (राँची जिला) सविरचना योजना के अन्तर्गत 1972-73 के अनेक बसों का एक मालिक का कर निर्धारण उच्चतम विधेयक पर किया गया और देय कर वाहन की बैठने की क्षमता और उसके द्वारा तय की कई दूरी पर निकाला गया। बसों द्वारा तय की गयी कुल 1,62,321 मील की दूरी पर 25 पैसे प्रति मील की दर पर मूल देय कर 30,174 रुपये निर्धारित किया गया और इस प्रकार निकाले गए मूल कर का 5 प्रतिशत की दर से 1,509 रु० का अतिरिक्त कर निर्धारित किया गया था। मूल देय कर के गलत संगणना किए जाने के अलावे 1,62,321 मील पर 25 पैसे प्रति मील की दर से कर 40,580 रुपये आता है। 1 अप्रील, 1972 से लागू 23 पैसे प्रति किलोमीटर

लागू दर के बजाय 31 मार्च, 1972 तक लागू दर 25 पैसे प्रति मील लागू किया गया। मूल कर तथा अतिरिक्त कर का गलत संगणना करने के कारण 41,037 रुपये का कम कर निर्धारण हुआ।

मामले की रिपोर्ट सरकार को अक्टूबर, 1975 में की गयी थी। सरकार ने सूचित किया कि (दिसम्बर, 1975 और फरवरी, 1976) उपरोक्त पहले दो मामलों में अतिरिक्त मांग पेश की गयी है।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस सम्बन्ध में विभाग से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। समिति इस पर अपना क्षोभ प्रकट करते हुए निम्नलिखित अनुशंसा करती है कि इस कंडिका में वर्णित अंकेक्षण आपत्ति का पूर्ण एवं संतोषजनक उत्तर समिति को 6 माह के अन्दर दिया जाय।

क्रमांक-18

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1974-75 (रा० प्रा०) की कंडिका 43 गलत दरों का लागू करना और अनियमित छूट देना।

बिहार सवारी और सामान (लोक सेवा मोटर गाड़ियों द्वारा ढोया गया) अधिनियम 1961 के अनुसार लोक सेवा मोटर गाड़ियों द्वारा ढोया गया, सवारी और सामानों पर कर ऐसे गाड़ियों के मालिकों को दिए गए किराया और भाड़ा के निश्चित प्रतिशत पर लगाया जाता है, किन्तु अधिनियम और उनके अन्तर्गत निर्मित नियम में संविरचना योजना का विचार है। लेखा परीक्षा में संविरचना शुल्क के गलत दरों के लागू करने के कारण कम कर निर्धारण और अनियमित छूट के मामले देखने में आए। 36 मामले जिनमें 2 09 लाख रु० अन्तर्वर्जित है, का ब्योरा नीचे है :—

(i) वाणिज्य कर अंचल, पटना के एक निर्धारिती के मामले में एक ट्रक जिसको 10 टन ढोने की क्षमता थी उस पर विहित दर से कम दर पर कर लगाया गया तथा कुछ अवधि के लिए छूट दी गयी कि उस अवधि में गाड़ी नहीं चली थी जबकि अस्थायी रुप से गाड़ी नहीं चलने पर छूट की व्यवस्था नहीं है। अप्रील 1969 से 31 मार्च, 1973 की अवधि के लिए 7,660 रुपये का कम कर निर्धारण हुआ।

2. वाणिज्यकर अंचल, देवघर में भी बैठने की क्षमता गलत निर्धारित करने के कारण पहली अप्रील, 1969 से 31 दिसम्बर 1971 और पहली जनवरी 1973 से 30 सितम्बर, 1973 तक की अवधि में 5,493 रु० का कम कर निर्धारण हुआ।

3. वाणिज्यकर अंचल दुमका के अन्तर्गत पांच लोक सेवा बसों पर पहली अप्रील, 1969 से 31 मार्च, 1973 की अवधि के लिए संविरचना फीस बैठने की क्षमता क्रमशः 49, 50, 50, 40, 40 निर्धारित की गयी। जिला परिवहन कार्यालय द्वारा रखे गए बिहार मोटर यान अधिनियम के अधीन गाड़ियों के पंजीयन अभिलेखों से पता चलता है कि गाड़ियों का चक्का आधार (ह्वील बेसेज) क्रमशः 205, 205, 205, 216 190 ईंच थी जिसकी न्यूनतम बैठने की क्षमता क्रमशः 53, 53, 53, 55, 48 थी। अतः पांच मामले में कम बैठने की क्षमता के आधार पर संविरचना फीस निर्धारण के फलस्वरुप 13,896 रु० का कम कर निर्धारण हुआ।

मामला सरकार को मार्च, 1975 और अक्तूबर, 1979 में रिपोर्ट किया गया उप-कंडिका (iii) में उल्लिखित मामले में सरकार ने सूचित किया (मार्च, 1976) कि पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा निश्चित की गयी और पजीयन किताबों में दर्ज किए गए आधार पर कर निर्धारण किया गया था। किन्तु उत्तर से यह पता नहीं चलता है कि किन परिस्थितियों में पंजीयन प्राधिकारियों ने मोटर गाड़ी अधिनियम के अनुकूल न कर अन्य तरीके से बैठने की क्षमता निर्धारित की। अन्य मामलों के संबंध में उत्तर अपेक्षित है (मार्च 1976)।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस संबंध में विभाग से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। यह एक चिन्ता का विषय है जिस पर समिति अपनी चिन्ता प्रकट करती है और अनुशंसा करती है कि:—

1. इस कंडिका में वर्णित अंकेक्षण आपत्ति का पूर्ण एवं संतोषजनक उत्तर समिति को छः माह के अन्दर दिया जाय।

क्रमांक-20

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1974-75 (रा० प्रा०) की कंडिका 45

गाड़ी चालन के बन्दी पर अनियमित छूट--ऐसे मामले में जहां अधिनियम के अधीन देय कर के बदले में निश्चित संविरचना शुल्क की अदायगी की अनुमति दी जाती है, गाड़ी के खराब हो जाने से या अन्य किसी ठोस कारण से संचालन के बंद होने या व्यापार के अस्थाई स्थान के लिए नियम, छूट की अनुमति प्रदान करता है। ऐसी वंदी की सूचना का निर्धारण प्राधिकारी को बन्दी के तीन दिनों के अन्दर सूचित कर देना है। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1940 के अधीन वंदी के बारे में इसी तरह की सूचना संबंधित परिवहन प्राधिकारी को भी देनी है, अप्रील, 1972 में वाणिज्यकर आयुक्त ने इस मद मे दावे का स्वीकृत करने के पहले संबंधित परिवहन प्राधिकारी के अभिलेख से संचालन के अस्थाई वंदी के तथ्य के सत्यापन के लिए कर निर्धारण प्राधिकारी को अनुदेश जारी किया। वाणिज्य कर (खान) अंचल, धनबाद के अन्तर्गत दो कर दाताओं के मामले में वंदी के इस तरह के दावे की छूट दी गई यद्यपि करदाता ने नियम में विहित वंदी संबंधी तथ्य की सूचना नहीं दी थी। कर निर्धारण प्राधिकारी ने भी दावे का सत्यापन संबद्ध परिवहन प्राधिकारी के द्वारा रखे गए अभिलेखों से नहीं किया था। इससे अक्तूबर, 1972 से 31 मार्च, 1973 की अवधि में 13,787 रुपये के राजस्व की हानि हुई।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस संबंध में विभाग से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

[illegible]

विभागीय स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं [illegible] पुनः, [illegible] जिसपर समिति अपना क्षोभ प्रकट करती [illegible] जाता है कि--

(1) कंडिका के वर्णित अंकेक्षण आपत्ति का पूर्ण व संतोषजनक उत्तर समिति को 6 माह के अन्दर दिया जाय।

400 रु० की वसूली कर ली गयी है। इसके अनुसार महालेखाकार रांची के पत्रांक-ओ०ए० डी० ए० आर-०1-1 (भारा) 75-76-655, दिनांक 4 सितम्बर 1979 द्वारा निष्पादित मान लिया गया है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

[illegible] स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि—

1. पंजीकृत लगान सोल के गलत निर्धारण की वजह से जो अवनिर्धारण हुआ है उसकी वसूली जल्द से जल्द की जाय।

2. इस सम्बन्ध में [illegible] के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाय।

की गई कार्रवाई से समिति को [illegible] अवगत कराया जाय।

क्रमांक-24

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1974-75 (रा० प्रा०) की कंडिका 47

अनियमित छूट देना

भारत के संविधान की धारा 285 और राज्य सरकार द्वारा 20 दिसम्बर, 1956 को जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार सरकार की मोटर गाड़ी का उसी तरह पंजीकृत होने पर 26 जनवरी, 1950 से मोटर गाड़ी कर से छूट है। यह छूट किसी अन्य स्वायत संस्था या निगम निकाय की नहीं है। किन्तु लेखा परीक्षा में देखा गया कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान पर्षद जो समिति पंजीयन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत एक समिति है, द्वारा बनाए गए केन्द्रीय इंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद और राष्ट्रीय मेटालार्जिकल प्रयोगशाला जमशेदपुर की गाड़ियों को बिहार और उड़ीसा मोटर गाड़ी काराधान अधिनियम 1930 के अन्तर्गत छूट दी गयी। छूट देने का फल यह हुआ कि पहली जुलाई 1956 से 30 जून 1975 तक की अवधि के लिए 2, 73, 027 रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

लेखा परीक्षा में इसको बताने पर (जुलाई 1975) सरकार ने सूचित किया (अगस्त 1975) की संबंधित पदाधिकारियों को उपरोक्त संस्थाओं से, बकाया कर वसूलने के लिए अनुदेश दिया जा रहा है। वसूली संबंधी सूचना की प्रतीक्षा है (मार्च 1976

(५०)

विभागीय उत्तर

जिला परिवहन पदाधिकारी, जमशेदपुर से यह सूचना प्राप्त हुई है कि राष्ट्रीय मेटालार्जिकल प्रयोगशाला जमशेदपुर की गाड़ियों को सरकारी समझकर भ्रमवश मार्ग कर की छूट पूर्व में दे दी गयी थी परन्तु इन गाड़ियों का पथ कर नियमानुसार लिया जा रहा है। जमशेदपुर के लिए वसूली हेतु डिमाण्ड नोटिस जारी की गई है किन्तु परिवहन पदाधिकारी, धनबाद से जानकारी मिलने पर समिति को जानकारी करा दी जायगी।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि अनियमित छूट देने के कारण जो अवनिर्धारण हुआ है, उसकी वसूली जल्द से जल्द कर समिति को 6 माह के अन्दर सूचित किया जाय।

मामला—23

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1974-75 (रा० प्रा०) की कंडिका 48

मान्यता फीस का न वसूला जता

1973-74 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट (राजस्व प्राप्तियों) में परिवहन गाड़ियों के मालिकों से वार्षिक मान्यता फीस नहीं वसूले जाने के मामले नजर में लाए। तीन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों के अधीन 63 मामले में जनवरी 1970 से जून, 1974 की अवधि में पड़ने वाले फीस की 27,230 रुपये की राशि लेखा परीक्षा की तारिख तक (दिसम्बर, 1974 जनवरी 1975 फरवरी, 1975) नहीं वसूल की गयी थी। स्थिति की सूचना नवम्बर, 1974 और मार्च एवं अप्रील 1975 में दी गयी उत्तर अपेक्षित है (मार्च 1976)।

विभागीय उत्तर

दक्षिण बिहार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार पटना ने सूचना दी है कि--

जहां तक मान्यता शुल्क के मद में वसूली का प्रश्न है इस सम्बन्ध में वसूली की गई राशि 7,50,000 रु० है।

इस सम्बन्ध मे इस कार्यालय के पत्रांक 2886, दिनांक 6 दिसम्बर, 1979 द्वारा इस प्रमंडल के सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी प्रवर्त्तन पदाधिकारी,

सभी परिवहन दंडाधिकारी को गाड़ी की सूची भेजते हुये अनुरोध किया गया था कि जिन टैक्सियों के मलिको के यहां मान्यता शुल्क बाकी है उनके विरुद्ध में आवश्यक कारवाई करके बाकी रकम की वसूली करायी जाय। साथ ही सभी संबधित वाहन मालिकों को अलग से नोटिस दी गयी थी कि अविलम्ब बकाया शुल्क जमा कर दे सभी वैसी गाड़ियों के परमिट की मान्यता समाप्त हो चुकी है। कुछ वाहनों ने ही मान्यता शुल्क की बकाया राशि जमा की है पुन: सभी पदाधिकारियों को बकाया राशि की वसूली हेतु स्मार दिया जा रहा है। पूर्व बिहार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार भागलपुर ने यह सूचना दी है कि इस संबंध में वसूली के सिलसिले में बराबर प्रयास किया गया है और संबंधित वाहनों को वर्ष 1973 से ही बकाया भैलिडिटी फीस जमा करने के लिए कहा गया है उसी प्रसंग में उनके पत्र संख्या-1116 दिनांक 26 अप्रील 1980 द्वारा सभी सम्बन्धित जिला परिवहन पदाधिकारी मोटरयान निरीक्षक, प्रवंतन पदाधिकारी एवं चलन्तदस्ता निरीक्षक को भी आवश्यक कारवाई हेतु लिखा गया है। उनलोगों को पुन: इस कार्यालय के पत्रांक 8060 दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 द्वारा स्मार दिया गया लेकिन कहीं से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्ष 1974 में इस प्राधिकार के क्षेत्र से ही कोशी प्राधिकार का स्थापना हुई और उनके क्षेत्र से सम्बन्धित विवरण भी कोशी प्राधिकार को पत्र संख्या-1399 दिनांक 9 मई 1975, 3311, दिनांक 12 दिसम्बर, 1975, 366 दिनांक 7 फरवरी, 1976 एवं पत्रांक 496, दिनांक 31 मार्च 1978 द्वारा भेज दी गयी है।

भैलिडिटी फीस की वसूली के सिलसिले में समय-समय पर राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा जारी किये गये पत्र संख्या-ए 2-3069/एस० टी० सी०-8448, दिनांक 15 सितम्बर, 1969 एवं ज्ञाप संख्या-ए 2-3029/72 पार्ट दिनांक 3 जुलाई, 1973 से स्पष्ट है कि जबकि परमिटों पर समुचित शर्त लिख दिया जाता था तब बकाया का सवाल नहीं रह जाता है क्योंकि अग्रिम भैलिडिटी जमा नहीं देने पर लिखित शर्त के अनुसार परमिट की मान्यता अवधि समाप्त हो गयी फिर भी उस सम्बन्ध में यही से बारम्बार आवश्यक कारवाई की जाती रही है और वर्तमान स्थिति यह है कि जबतक जिला परिवहन पदाधिकारी को राज्य परिवहन आयुक्त अपने स्तर से ठोस कारवाई करने का आदेश न देंगे।

स्थिति पूर्ववत बनी रह जायेगी क्योंकि संबंधित गाड़ियों के मालिक उन गाड़ियों का पूर्व में निर्गत परमिटों की अवधि समाप्त के बाद परमिट लेने के लिए प्राधिकार के पास आ हीं नहीं रहे हैं।

उत्तर बिहार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार मुजफ्फरपुर ने सूचना दी है कि परमिट की मान्यता फीस वसूल प्राधिकार द्वारा नहीं लिए जाने का कारण आदेश जी० एस० आर० सं० 88 दिनांक 4 सितम्बर 1972 है जिसके अनुसार बिहार मोटर गाड़ी नियमावली के नियम 53 (2) (बी) के प्रावधानों के अन्तर्गत यह आदेश था कि नन-मोटर टैक्सी एवं स्पेशल टैक्सी में परमिट की मान्यता शुल्क प्रतिवर्ष 200,300 रुपये 15 जनवरी तक वसूला जाय। इसके अलावे टैक्सी एवं जनता मालवाहक ने क्रमांक–11 परमिट पार्ट-ए के विपत्र पी में यह प्रावधान था कि मान्यता शुल्क प्रत्येक साल के पहले या 15 जनवरी तक चालू रहा जब तक कि बिहार नियमावली के नियम 53 (ए) (1) में सरकारी आदेश द्वारा संशोधन कर यह प्रावधान नहीं हुआ कि तीन साल या साल पांच के लिए परमिट शुल्क एक ही साथ लिया जाय। 1 जुलाई 1975 के बाद सारे टैक्सी परमिट सम्पूर्ण शुल्क लेकर ही निर्गत किए गये हैं।

इस संबंध में राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के आदेश सं० 202, दिनांक 22-24 फरवरी 1968 में य स्पष्ट आदेश था कि द्वितीय वर्ष के मान्यता शुल्क के लिए जोर नहीं दिया जाय। इस प्राधिकार द्वारा नन-मोटर और स्पेशल टैक्सी परमिट निर्गत करते समय यह शर्त हर परमिट में लगा दिया जाता था कि this permit will not be valid after ·· unless the amount of revenue, as validity fees before that date is paid शर्त के प्रथम भाग में एक साल की अवधि की अंतिम तिथि और दूसरे में परमिट मान्यता की रकम 220 रु० या 300 रु० नियमानुसार किया जाता था।

इस शर्त के अनुसार परमिट वैधानिक रुप से मान्यता नहीं रह जाता था फिर भी अंकेक्षण दल की आपत्ति प्राप्त होने पर भी परमिट वाहकों का नोटीश दी गई थी कि परमिट मान्यता की रकम जमा करें । कुछ परमिट वाहनों ने मान्यता रकम अदा भी किया ।

इस कार्यालय के पत्र संख्या-289, दिनांक 8 फरवरी 1978 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षकों/आरक्षी अधीक्षकों एवं प्रवर्त्तन पदाधिकारियों को उन वैक्तियों की सूची बकाये रकम के साथ भेजते हुए अनुरोध किया गया कि टैक्सियों का परमिट समाप्ति के बाद अगर वे मार्ग कर देने/योग्यता प्रमाण-पत्र लेने या अनधिकृत रुप से चलती हुई पायी जाय तो सरकारी बकाये की रकम वसूल की जाय । स्मार इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-1021, दिनांक 12 जून 1978, 1551, दिनांक 8 अगस्त 1978, 568, दिनांक 7 मार्च 1979 द्वारा दिया गया । लेकिन कुछ भी फल नहीं निकला ।

सारी उपयुक्त स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लेना उचित होगा कि किस व्यक्ति विशेष को परमिट मान्यता शुल्क वसूल नहीं करने के लिए दोषी ठहराया जाय, क्योंकि बिहार मोटर गाड़ी नियमावली के नियम 53 (1) (बी) ही दोषपूर्ण था और इसी कारण परमिट शुल्क की मान्यता वसूली में कठिनाई हुई । कोशी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार सहरसा ने सूचना दी है कि

कोशी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, सहरसा का गठन जून 1974 में होने के पश्चात पूर्व बिहार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, भागलपुर से कोशी प्राधिकार से संबंधित संचिकाये जुलाई 1974 में यहां प्राप्त हुई अतः इसके पूर्व की स्थिति का सोधा संबंध पूर्व बिहार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार भागलपुर से है । फिर भी इस संबंध में भागलपुर प्राधिकार से पत्राचार होने पर सभी संबंधित परमिटधारियों के अनेकों बार बकाया मान्यता फीस मेलिडीटी फीस जमा कर देने हेतु लिखा गया । किन्तु कुछेक को छोड़कर

शेष ने बकाया मान्यता शुल्क जमा नहीं किया फलतः इस संबंध में अनेकों बार सम्बन्धित प्रवर्तन पदाधिकारी तथा जिला परिवहन पदाधिकारी का बकाया वसूल करने की दिशा में कारंवाई करने हेतु लिखा गया । जिला परिवहन पदाधिकारी जो परमिटधारियों की सही जानकारी देते हुए वहां भी लिखा गया कि यदि ये परिचालक गाड़ियों को रोड टैक्स देने के लिए उनके यहां आयें तो उन्हें बाध्य किया जाय कि वे बकाया शुल्क जमा कर दे । प्राधिकार से भी अनुरोध किया गया कि वे चेकिंग के दौरान ऐसी गाड़ियों को मार्ग पर चलते हुए पाए जायं तो उन्हें बकाया फीस जमा करने को कहे । किन्तु उनसे भी कोई सहयोग नहीं मिला । अन्ततः प्राधिकार के स्तर से ही सम्बन्धित परमिटधारी के विरुद्ध नीलाम पत्र पदाधिकारी के यहां केस डायर किया गया है जो लम्बित है । अतः किसी पदाधिकारी का इसमें कोई दोष नहीं प्रतीत होता है ।

प्रसंगवश यह उल्लेखनीय है कि आरम्भ में जब कि ऐसे परमिट पूरे तीन साल की अवधि के लिए निर्गत किए जाते थे, एक साथ ही परमिट फीस दो वर्षों का मान्यता फीस से लिया जाता था । किन्तु अपर राज्य परिवहन आयुक्त बिहार, पटना के पत्रांक ए2-3029172 परि0 पार्ट 5221, दिनांक 3 जुलाई 1973 के निदेशानुसार तीनों साल की फीस एक साथ लेने के बजाय ननमीटर। स्पेशल टैक्सी के प्रत्येक परमिट पर लाल स्याही से यह स्पष्ट आदेश लिख दिया जाता रहा था कि परमिट निर्गत तिथि से एक साल पूरा होने की तिथि तक या उससे पूर्व अगर अगले साल मान्यता फीस जमा नहीं किया जाएगा तो परमिट मान्य नहीं समझा जाएगा । इस स्थिति में प्राधिकार की राये में जबकि परमिट पर अंकित आदेशानुसार मान्य ही नहीं रहा तो, अगले दो वर्षों की मान्यता फीस वसूल का प्रश्न ही नहीं रह जाता है ।

उपर्युक्त आदेश के अलावे एक भी गाड़ी अब टैक्सी के रुप में परमिट पर नहीं रह गई है और प्राधिकार के नियंत्रण से बाहर है ।

उपरोक्त स्थिति की मान्यता फीस वसूलने के लिए यथा सम्बन्ध जो कारंवाई की गई हैं उसके आलोक में किसी पदाधिकारी पर कोई कारंवाई की आवश्यकता नहीं रह गई है ।

वसूली की अद्यतन स्थिति की जानकारी के लिए सम्बन्धित पदाधिकारी को लिखा गया है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि उन सभी मामलों में जिनमें मालिकों से कर की वसूली नहीं हुई है उसकी वसूली जल्द से जल्द कर समिति को तीन माह के अन्दर अवगत कराया जाय।

क्रमांक—24

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1974—75 (रा0 प्रा0) की कडिका 49

जिस महीने मे गाड़ियों का पंजीकरण किया गया उस महीने के लिए कर का न वसूला जाना।

बिहार और उड़ीसा मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम 1930 के अधीन विहित वार्षिक दर पर कर प्रति मोटर गाड़ी पर वार्षिक या तिमाही देना है। एक तिमाही के दौरान किसी गाड़ी के पंजीकरण के सम्बन्ध पर पंजीकरण की तिथि के बाद प्रत्येक महीना या महीने के किसी हिस्से के लिए कर की वार्षिक दर का बारहवां हिस्सा देय है। किन्तु लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि 32 मामलों में जिस महीने में गाड़ी का पंजीकरण किया गया उस महीने के लिए देय कर गाड़ियों के मालिकों से वसूल नहीं किया गया जिस कारण 1973—1974 1974—75 के दौरान छः जिलों पूर्व चम्परण, गया, रांची पूर्णिया, छपरा और धनबाद में 8, 796 रुपए की राशि के राजस्व की वसूली नहीं हुई। स्थिति की जानकारी सरकार को सितम्बर 1974 अक्टूबर 1975 में दी गई किन्तु उत्तर अपेक्षित है। (मार्च 1976)

विभागीय उत्तर

जिला परिवहन पदाधिकारी, गया से सूचना दी है कि इस जिले में वर्ष 1973—74 में इस तरह का कोई मामला नहीं है। वर्ष 74 75 के निरीक्षण प्रतिवेदन के 180 की कंडिका 3 के अनुसार इस जिले में 1052—47 रु0 पांच गाड़ियों से कर वसूलने का सुझाव के अनुसार डिमान्ड नोटिश निर्गत किया गया है।

1. निबंधन पदाधिकारी को इसके लिए हिदायत किया जा रहा है।
2. वसूला करनें के लिए डिमान्ड नोटिश दिया गया है

3 गया से संबंधित 1052-47 रु0 वसूली के लिए डिमान्ड नोटिश दिया गया है ।

जिला परिवहन पदाधिकारी पूर्णियां ने बताया है कि:—

पंजीयन पदाधिकारी को दोषी ठहराने के लिए कोई कारँवाई की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि बकाया वसूली हेतु कदम उठाया गया है ।

2. सर्टिफिकेट केश द्वारा बकाया वसूली की कारँवाई की गई है ।

3. केश निष्पादन नहीं होने के फलस्वरुप रकम बाकी है ।

जिला परिवहन पदाधिकारी मोतिहारी, रांची, छपरा तथा धनबाद को उत्तर देने के लिए स्मार दिया गया है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में [illegible] अब कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है, परन्तु विभाग से अपेक्षा [illegible] कि अवशिष्ट [illegible] राशियों की वसूली जल्द से जल्द कर ली जाय ।

क्रमांक-25

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1975-76 (रां०प्रा०) की कंडिका 5.2

सर्वोत्तम निणय के आधार पर देय कर के गलत निर्धारण के कारण हानि

कराधान अधिनियम 1961 के अधीन देयकर के बदले अधिसूचित नियम शुल्क का भुगतान करने के लिए मालिक को अनुमति दी जा सकती है । यदि विहित प्राधिकारी के मत में किसी कर निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरणी देखे तथा अन्य साक्ष्य गलत, अधूरे अथवा अविश्वसनीय हैं, तो सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर निर्धारण करने के लिए निधारण पदाधिकारी सक्षम है । 1973 जून, में विभाग ने सभी निधारण प्राधिकारियों को अनुदेश निर्गत किया कि उच्चतम निर्णय के अनुसार कर निर्धारण किसी भी हालत में संविरचना योजना के अधीन देय राशि से कम नहीं होना चाहिए । यदि इस प्रकार की कोई मामला उठे तो विभाग के प्रधान के पास निर्णय के लिए निर्देशित करना चाहिए ।

लेखा परीक्षा में यह देखने में आया कि 1972-73 और 1973-74 के दौरान एक निर्धारिती (गिरीडीह) के द्वारा देय कर के क्रमश: 8,250 रू०

और 7 500/ रू० निर्धारित इस आधार पर किया गया कि मालिक के द्वारा अनुमान: 32,000/ और 30,000/ रू० ही किराये और भाड़े से प्राप्त थे। यदि संविरचना योजना के अधीन नियत की गई दर से हिसाब किया जाय तो यह राशि बढ़ाकर क्रमश: 17,666 रू० और 18,220 रू० की होती है। इस मामले को विभागीय प्रधान के पास निदेशित नहीं किया गया। इस तरह 20,136 रू० कम कर का निर्धारण हुआ। सरकार ने बताया कि कर निर्धारण आदेश को संशोधित किया गया है और अतिरिक्त मांग पेश की गई है (जनवरी, 1977)

विभागीय स्पष्टीकरण

इस सम्बन्ध में विभाग से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभाग से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है यह एक चिंता का विषय है। जिसपर समिति अपना क्षोभ प्रकट करती है और अपेक्षा करती है कि :—

इस कंडिका में वर्णित अंकेक्षण आपत्ति का पूर्ण एवं संतोषजनक उत्तर समिति को 6 माह के अन्दर किया जाय।

क्रमांक 26 अंकेक्षण प्रतिवेदन 1975-76 (रा०प्रा०) की कंडिका 5.3

अतिरिक्त कर का नहीं लगाया जाना

1 दिसम्बर, 1971 से 8 अप्रैल 1973 की अवधि के दौरान 5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर एक रुपया और उससे अधिक मूल्यवर्ग के यात्री टिकटों के किराये पर लगाना था तथा अधिनियम 1961 की शर्तों के अनुसार वेचे गये टिकटों का विवरण, वसूल किये गए किराये और कर का जिक्र करते हुए आय की विवरण देनी थी। लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि देवघर सासाराम और गया के कर निर्धारण अंचलों में 13 कर निर्धारितियों के मामले में उपरोक्त अवधि के दौरान अतिरिक्त कर लगाये बिना मांग पेश की गई। पूर्ण विवरण निर्धारितियों द्वारा नहीं दिये जाने के कारण अतिरिक्त कर निधारण की राशि निर्धारित नहीं की जा सकी।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस सम्बन्ध में विभाग से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभाग [illegible] प्राप्त नहीं हुआ [redacted] [illegible] अपनी क्षोभ [redacted] करती है [illegible] इस कंडिका में वर्णित अंकेक्षण-आपत्ति का पूर्ण [redacted] उत्तर समिति को 9 मास के अन्दर दिया जाय ।

[illegible]

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1975-76 (रा० प्रा०) की कंडिका 5.4

संविरचना शुल्क की गलत दरों को लागू करना

1973-74 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (रा० प्रा०) की कंडिका 6.2 में भी यह उल्लिखित है कि अप्रैल 1972 के संशोधन के बावजूद भी पहले वाले ही दर पर कर निर्धारण की गलतियों का चर्चा है । 1975-76 के दौरान बेगुसराय के दो कर दाताओं से संशोधन के बाद भी पहले वाली दर से कर निर्धारण हुआ, परिणमत 12,859 रु० का कम कर निर्धारण हुआ । नवम्बर 1976 में विभाग ने बताया कि उसके बाद कर निर्धारण आदेश संशोधित कर दिया गया है ।

विभागीय उत्तर

जिला परिवहन पदाधिकारी बेगुसराय के पत्रांक 412 दिनांक 17 मई, 1979 के द्वारा महालेखाकार, बिहार को सूचित किया गया है कि गाड़ी मालिक ने-पे-इन-स्लिप सं०-50 दिनांक 29 जनवरी, 1979 द्वारा बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है ।

वसूली की अद्यतन स्थिति के लिए इन्हें स्मार किया गया है ।

समिति का नि[illegible]

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि—

(1) संविरचना फीस की अवशिष्ट [illegible] राशि की वसूली जल्द से जल्द की जाय ।

(2) इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों पर उचित कार्रवाई की जाय ।

की गई कार्रवाई से समिति को 6 माह के अन्दर [illegible]

श्रौर 7 500/ रू० निर्धारित

अनुमान: 32,000/ श्रौर ।दन वर्ष 1975-76 (रा० प्रा०) की कंडिका 5.5

थे । यदि संविरचना

तो यह राशि बढ़ाक- प्रतिवेदन वर्ष 1976-77 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.8

इस मामले को गलत लदान क्षमता का नियतन

20,136 को के सम्बन्ध में गाड़ी की ढुलाई क्षमता को ध्यान में रखते हुए संविरचना श्रादेशुल्क की दर को मासिक दर के रुप में लोक सेवा मोटर गाड़ियों के मालिकों द्वारा नियुक्त किया गया था । 1969-70 से 1974-75 के दौरान पांच बार निर्धारण अंचलों में 13 ट्रकों के मामले में 21,312 रु० का कर निर्धारण हुश्रा । श्रंकेक्षण प्रतिवेदन 1976-77 की कंडिका 4 8 निर्धारण के इस तरह के मामले श्रप्रैल 1969 से मार्च 1976 के बीच चार श्रंचलों में नौ मामले थे जिनमें 27,022 रु० का राजस्व निहित था ।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस सम्बन्ध में विभाग से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुश्रा है ।

[illegible] निष्कर्ष एवं सिफारिश

अंकेक्षण आपत्ति का उत्तर नहीं भेजना [illegible] है । जिस पर समिति [illegible] क्षोभ प्रगट करती है और अनुशंसा [illegible] को छः माह के अन्दर अवगत [illegible] ।

[illegible]-29

श्रंकेक्षण प्रतिवेदन (रा० प्रा०) 1975-76-5.6

श्रंकेक्षण प्रतिवेदन (रा० प्रा०) 1976-77--4 5

(योग्यता प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए शुल्क की वसूली न करना ।)

5-6 चार परिवहन कार्यालयों, रोहतास, सहरसा, गिरीडीह श्रौर डिहरी-श्रोन-सोन में 1973-74 श्रौर 1974-75 की अवधि में निबंधित 359 ट्रेलरों श्रौर ट्रेलरें खीचने वाले ट्रैक्टरों से 80/-रु० प्रतिगाड़ी की दर से 28,720 रु० की फीस नहीं ली गई, जिससे राजस्व की हानि हुई ।

4.5. 1975-76 में परिवहन कार्यालय रोहतास में पंजीकृत 197 ट्रेलर और ट्रैक्टरों द्वारा खींचने वाले ट्रेलरों से 80 ० प्रति गाड़ी की दर से 15,760 रु० का फीस की वसूली नहीं हुई।

विभागीय उत्तर

योग्यता प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए शुल्क की वसूली न करना

1. जिला परिवहन पदाधिकारी, डेहरी का कहना है कि सभी संबंधित ट्रैक्टर तथा ट्रेलर के स्वामियों को 80 रु० की दर से योग्यता प्रमाण-पत्र शुल्क जमा करने के लिये कोशिश की गयी थी जिसके फलस्वरूप 54 गाड़ियों से 80 रु० की दर से कुल 4,320 रु० की वसूली हुई है। शेष के लिये आगे की कार्रवाई की जा रही है।

2. कोई ऐसे मामलों का पता नहीं चला है।

3. डेहरी, सहरसा एवं गिरिडीह के जिला परिवहन पदाधिकारी को स्मार दिया गया है कि उनके यहां अद्यतन वसूली इस मद में कितनी हुई है परन्तु अभी तक उत्तर अप्राप्त है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि:—

1. उन मामलों में जिसमें योग्यता प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिये शुल्क की वसूली नहीं हुई है, उसकी वसूली जल्द से जल्द की जाय।

की गई कार्रवाई से समिति को 6 माह के अन्दर अवगत कराया जाय।

क्रमांक—30

अंकेक्षण प्रतिवेदन (रा प्रा०) 1976-77—4.1

अंकेक्षण प्रतिवेदन (रा० प्रा०) 1977-78—4.1

बढ़े हुए लादान भार को अपनाना

मोटर गाड़ी (संशोधन) अधिनियम 1939 द्वारा तथा संशोधित अधिनियम की धारा 36(3) के अनुसार रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र में दर्ज किया गया पंजीकृत

लदान भार अधिनियम 36(1) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना में निर्दिष्ट लदान भार से भिन्न नहीं होना चाहिए। 12 1/2 प्रतिशत अथवा 25 प्रतिशत की वृद्धि के लिए अगस्त 1971 में अनुदेश जारी किया गया। कुछ परिवहन परिचालकों द्वारा आदेश याचिका देने पर उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी किया फलस्वरुप अनुदेशों का क्रियान्वयन मार्च, 1972 में नया अनुदेश जारी कर स्थगित कर दिया गया। 1975 मार्च में न्यायालय द्वारा आदेश हटा लेने पर अगस्त 1975 में विभाग ने पुनः अनुदेश जारी किया जिसमें 1 अक्टूबर, 1969 के बाद पुनः पूर्व आदेशों के क्रियान्वयन कर अन्तर को वसूल करने का निदेश दिया गया।

जांच के दौरान जमशेदपुर, डालटेनगंज, मुजफ्फरपुर, पटना और गया परिवहन कार्यालयों में 1969 अक्टूबर से जून 1976 की अवधि के लिए 4.29 लाख रु० की राशि के कर का अन्तर नहीं लगाया गया और न वसूला गया।

1977-78 की कंडिका 4.1—(*i*) जून, 1978 में धनबाद परिवहन कार्यालय में देखा गया कि 1184 मामलों में से सिर्फ 1160 मामलों का ही पुनरीक्षण किया गया। 24 मामलों जिसमें 56.021 रु० निहित थे, का अन्तर नहीं वसूला गया।

(*ii*) 1160 मामले जिसमें पुनरीक्षण हुआ था उनमे 20 मामलों में लदान भार विहित प्रतिशतता में नहीं बढ़ाया गया जिससे अक्टूबर, 1975 और जून, 1978 की अवधि के बीच भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए 13,806 रु० के कर की कम वसूली हुई।

(*iii*) 49 मामलों में पंजीकृत लदान भार के अन्तर पर कुल 1,19,714 रु० की राशि जून 1978 तक वसूलनीय थी।

विभागीय उत्तर

जिला परिवहन पदाधिकारी, जमशेदपुर ने सूचना दी है कि इनमें से अधिकतर गाड़ियों का लदान वजन पुनरीक्षित कर बकाया कर की वसूली हो चुकी है तथा शेष के लिए डिमान्ड नोटिस जारी है।

2. जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू के रिपोर्ट से यह पता चलता है कि वसूली के लिये मांग-पत्र निर्गत किया जा रहा है और कुछ मामलों में

सर्टिफिकेट केश भी दायर किया गया। मात्र पांच गाड़ियों से 366.90 रु० की वसूली भी हो चुकी है। जिला परिवहन पदाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन सं० 925/77/78 की कंडिका 3 से संबधित है जिसमें 792 रु० सम्मिलित है। गाड़ी नं० बी० आर० सी० 1224 के लिए चलान नं० 20 दिनांक 23 सितम्बर, 1972 द्वारा वसूली की जा चुकी है। दूसरी गाड़ी बी० आर० जेड० 1525 से डिमान्ड नोटिश वसूली मामला इस कार्यालय से संबंधित नही है।

3. जिला परिवहन पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, पटना तथा धनबाद को उत्तर देने के लिए स्मार दिये गये हैं। उत्तर प्राप्त होने पर समिति को जानकारी करा दी जायगी।

[redacted]

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1976-77 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.2

सड़क कर कम लगाना

मोटरयान अधिनियम 1930 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर कर देने के बाद ही दूसरे राज्यों की गाड़ियां बिहार में चल सकती हैं। ट्रक के संबंध में आरोप्य कर गाड़ी की पंजीकृत लदान भार पर निर्भर करता है।

राज्य परिवहन अधिकारी, पटना के अभिलेखों से यह देखा ग ा (1977) कि 339 ट्रकों को जिन्हें दूसरे राज्यों का परमिट मिला था। 1976-77 के दौरान राज्य में चलने की अनुमति दी गई। पंजीकृत लदान भार पर कर 78,815 रु० होता था लेकिन मात्र 53,572 रु० की वसूली हुई और 25,243 रु० की वसूली छूट गई।

विभागीय उत्तर

1. राज्य परिवहन अधिकारी पटना को लिखा गया है कि भविष्य में ऐसी भूल नहीं हो इसके लिए क्या कारवाई की गयी है। उत्तर अप्राप्त है क्योंकि सम्बन्धित निरीक्षण प्रतिवेदन उनके यहां उपलब्ध नहीं है।

2. अद्यतन वसूली की जानकारी के लिए भी राज्य परिवहन अधिकारी पटना को लिखा गया है उत्तर अप्राप्त है। उत्तर प्राप्त होते ही समिति को जानकारी दी जायेगी।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि :—

(1) अवनिर्धारण की राशि की वसूली जल्द से जल्द की जाय। की गई कारंवाई से समिति को 6 माह के अन्दर अवगत कराया जाय।

क्रमांक–32

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1976-77 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.3

विहित समय सीमा के अन्दर कर निर्धारण कार्यवाही आरम्भ नहीं कर सकना।

बिहार यात्री तथा माल पर कराधान (लोक सेवा मोटर गाड़ियों द्वारा लाये गए) अधिनियम 1961 के अधीन मालिक द्वारा किसी अवधि से सम्बन्धित देय कर के निर्धारण की कारंवाई उस अवधि की समाप्ति के बाद चार वर्ष बीतने के पूर्व ही आरम्भ की जा सकती है। रांची उत्तरी अंचल में 31 टैक्सियों के सम्बन्ध में निर्धारण कारंवाई शुरू नहीं की गई और अप्रैल, 1968 और मार्च, 1972 की अवधि के लिए यात्री और माल वाहन पर विहित अवधि के भीतर देय कर का निर्धारण नहीं किया गया, फलस्वरूप 78,818 रुपए के राजस्व की हानि हुई।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस सम्बन्ध में विभाग से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

अंकेक्षण आपत्ति का उत्तर नहीं भेजना चिन्ता का विषय है जिस पर समिति अपना क्षोभ प्रकट करती है और अनुशंसा करती है कि :—

इस कंडिका में वर्णित अंकेक्षण आपत्ति का पूर्ण एवं संतोषजनक उत्तर समिति को 6 माह के अन्दर दिया जाय।

क्रमांक-33

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1976-77 (रा० प्रा०) की कंडिका 4·4

मान्यता शुल्क की वसूली न करना

बिहार मोटर गाड़ी अधिनियम 1940 में परमिट की शर्तों में एक यह भी है कि परमिट की मान्यता के प्रत्येक वर्ष के लिए देय शुल्क की वार्षिक अदायगी हो।

रांची, पटना और सहरसा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों द्वारा प्रथम वर्ष के देय शुल्क की अदायगी के बाद तीन-तीन वर्षों के लिए 195 टैक्सियों को परमिट दिया गया लेकिन अनुवर्ती वर्ष का वार्षिक शुल्क जून, 1972 से जनवरी, 1977 के दौरान नहीं लिया गया परिणामत: 91,149 रुपये की वसूली नहीं हुई। सरकार ने बताया कि (अप्रैल, 1978) उसमें से मात्र 5,580 रुपए ही वसूले जा सके हैं और शेष के लिए कारंवाई की गई है।

विभागीय उत्तर

1. इसके सम्बन्ध में अभी तक दक्षिणी छोटानागपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार रांची का उत्तर निम्न प्रकार है :—

इस कार्यालय से सम्बन्धित बकाया शुल्क सिर्फ 35 टैक्सियों के लिए है जिनको परमिट दिया गया है। अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 7/76-77 के संदर्भ में इस कार्यालय से सिर्फ 17 200 रुपए बकाए रकम की वसूली हेतु अंकेक्षक द्वारा आपत्ति उठाई गई है। इस बकाये राशि के विरुद्ध 5,140 रुपए राशि की वसूली की जा चुकी है और बकाया राशि 12 060 रुपया है जो इस कार्यालय से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में उल्लेख है कि सभी परमिट वाहकों को बकाया रकम वसूली करने हेतु सूचना दी गई थी। साथ ही साथ सम्बन्धित पदाधिकारियों जैसे मोटर यान निरीक्षक एवं जिला परिवहन पदाधिकारी से अनुरोध किया गया था कि जब भी गाड़िया किसी कारणवश उनके कार्यालय में उपस्थित हैं, बकाया राशि लेकर ही कार्य किया जाय।

इस कार्यालय के अभिलेख से ज्ञात होता है कि डिफोल्टर्स अब तक परमिट नवीकरण का आवेदन भी नहीं किए हैं और न किसी पदाधिकारी

से कोई खबर गाड़ियों के सम्बन्ध में प्राप्त हुई है अत: स्पष्टत: यह प्रतीत होता है कि गाड़ी मालिकों को गाड़ी या तो कन्डम हो गया हो या किसी अन्य वाहको के साथ बेच दिए गए हों।

इसके सम्बन्ध में यह भी उल्लेख है कि सरकारी आदेशानुसार आरम्भ में एक वर्ष का प्रतिभूति शुल्क लेकर ही तीन वर्ष का परमिट दिया जाता था। साल की समाप्ति के बाद उन लोगों से प्रतिभूति शुल्क भुगतान करने के लिए अनुरोध किया जाता था यह प्रक्रिया कामयाब न हो सका। अत: टैक्सियों का परमिट तीन वर्ष की अवधि तक पूर्ण शुल्क लेकर ही परमिट दिया जाता है।

इस सम्बन्ध में कार्यालय के किसी पदाधिकारी का दोष प्रतीत नहीं होता है चूंकि नियम के अनुसार ही कार्य कर रहे थे।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार पटना तथा सहरसा को स्मार किया गया है परन्तु अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं है।

2. वसूली की अद्यतन स्थिति की जानकारी होते ही समिति को जानकारी करा दी जायगी।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि :—

1. अवनिर्धारण की राशि की वसूली जल्द से जल्द की जाय।

2. की गई कार्रवाई से समिति को 6 माह के अन्दर अवगत कराई जाय।

क्रमांक—34

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1976-77 (रा० प्रा०) की कंडिका 4·6

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1978-79 (रा० प्रा०) की कंडिका 4·9

(अ) कर का गलत निर्धारण

राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1974-75 की कंडिका 42 में दिखाया गया है कि अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के बदले में संविरचना फीस की अदायगी के आवेदन शुरू में अस्वीकृत कर दिए गए थे और बाद में विवेक के अनुसार संविरचना फीस का गलत निर्धारण किया गया जिससे राजस्व की हानि हुई।

1976-77 में भी इसी प्रकार के तथ्य पाये गये।

1. 1972-73 में दो स्टेज वाहनों के एक मालिक ने (रांची उत्तर) कुल 68,478 मील वाहन द्वारा तय किया दिखाया गया और देय कर के बदले संविरचना फीस की अदायगी के लिए आवेदन दिया जो नामंजूर कर दिया गया। 15 पैसे प्रति मील की दर से विवेकानुसार देयता 10,272 रुपया आंकी गई जब कि संविरचना फीस की विहित दर से देयता 23,132 रुपये होती है। गलत कर निर्धारण से 12,860 रुपये का अवनिर्धारण हुआ।

इसके अतिरिक्त उपर्युक्त मूल कर के अलावे एक रुपया और अधिक के मूल्य वर्ग के टिकटों से वसूल किए गए भाड़े पर 5 प्रतिशत की दर से एक अतिरिक्त कर भी 1 दिसम्बर, 1971 से देय था। 1 अप्रैल, 1972 में अतिरिक्त कर के बदले में संविरचना फीस की दर भी अलग से अधिसूचित की गई थी। नियमतः संविरचना फीस के रूप में 5,065 रुपए अतिरिक्त कर के बदले में लेनी थी। लेकिन मूल कर के 5 प्रतिशत पर गणना कर 514 रुपए की गलत मांग की गई। फलस्वरूप 4,551 रुपए राशि की राजस्व की हानि हुई।

2. उसी तरह 5% पर गलत निर्धारण के फलस्वरुप 14,757/रुपये का एक और अवनिर्धारण हुआ।

(ब)

(I) अधिनियम में यह व्यवस्था है कि वाहन मालिक को विवरणी के साथ-साथ प्राप्त किराये और भाड़े का भी विवरण कर निर्धारण अधिकारी को कर निर्धारण के लिए देना होगा। नहीं देने पर एक पक्षीय निर्णय कर दिया जायेगा जिसमें देयकर की राशि से संविरचना शुल्क कम नहीं होना चाहिये। ऐसे मामले को विभागाध्यक्ष के पास निर्णय के लिए भेजा जाना चाहिए।

रांची उत्तरी अंचल के एक बस के मालिक ने न तो संविरचना शुल्क की अनुमति के लिए आवेदन दिया और न वर्ष के दौरान आय विवरण ही प्रस्तुत किया। कर निर्धारण 25 पैसा प्रति मील के हिसाब से 1,16,002 मीलों का न कर 33 पैसा प्रति मीटर की पुरानी दर से कर के 46,401 रुपये निर्धारण हुआ। गलत दर लागू करने के फलस्वरुप 26,680 रु० का न्यूनतम अवनिर्धारण हुआ।

(11) जून 1978 और जनवरी, 1979 के बीच नौ मामलों में देय कर से भी कम 25,645 रुपये संविरचना शुल्क की वसूली हुई।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस सम्बन्ध में विभाग से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

अंकेक्षण प्रतिवेदन आपत्ति का उत्तर नहीं भेजना चिन्ता का विषय है जिसपर समिति अपना क्षोभ प्रगट करती है और अनुशंसा करती है कि:—

इस कंडिका में वर्णित अंकेक्षण आपत्ति का पूर्ण एवं संतोषजनक उत्तर समिति को 6 माह के अन्दर दिया जाय।

क्रमांक—35

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1976-77 (रा० प्रा०) की कंडिका 4 7

बैठने की कम क्षमता पर कराधान

बिहार यात्री और माल कराधान अधिनियम 1961 के अन्तर्गत संविरचना फीस का निर्धारण गाड़ियों में बैठने की क्षमता और तय की गई दूरी पर कर निर्धारण होता है।

रांची उत्तरी अंचल में 1972-73 और 1974-75 के दौरान दो कर निर्धारितियों के तीन स्टेज वाहनों पर कर का निर्धारण पैंतालिस और चौवालिस सीटों के आधार पर की गई जबकि उन गाड़ियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र से पता चला कि उनकी बैठने की क्षमता तिरपन सीटों की थी। अतः गलत कर निर्धारण के फलस्वरुप 29,256 रुपये का अवनिर्धारण हुआ।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस संबंध में विभाग से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

अंकेक्षण आपत्ति का उत्तर नहीं भेजना एक चिन्ता का विषय है जिसपर समिति अपना क्षोभ प्रगट करती है और अनुशंसा करती है कि:—

1. इस कंडिका में वर्णित अंकेक्षण आपत्ति का पूर्ण एवं संतोषजनक उत्तर समिति को 7 माह के अन्दर दी जाय।

क्रमांक — 36

अकेक्षण प्रतिवेदन 1977-78 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.2

अन्य राज्यों में प्रवासित यानों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्रों को अनियमित रुप से जारी किया जाना ।

मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 के अन्तर्गत जब एक राज्य में पंजी कृत मोटर गाड़ी दूसरे राज्य में 12 महीने से अधिक अवधि तक रखी जाती है तब जहां गाड़ी स्थित है उस क्षेत्र के पंजीयन प्राधिकारी क द्वारा उस गाड़ी को एक नया पंजीयन चिन्ह पूर्व के पंजीयन प्राधिकारो से सम्पर्क स्थापित कर दिया जाता है । 1 मार्च 1976 में राज्य परिवहन आयुक्त बिहार के द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार जो गाड़ी बिहार में पंजीकृत हो चुकी है और दूसरे राज्य में प्रवासित हो गई है के संबंध में अन्य राज्यों के पंजीकरण प्राधिकारी सूची प्राप्त होने पर बिहार के पंजीकरण प्राधिकारियों को उन गाड़ियों के संबंध में कर दायित्व की जांच पड़ताल करने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना था । ऐसे मामलों में जहा ऐसी गाड़ियों के मालिक ने संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी और वाणिज्यिक कर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तो संबंधित पंजीयन प्राधिकारी को जहां गाड़ियों का पंजीकरण किया जाना था । आपति पत्र निर्गत किया जाना था ।

लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (जुलाई 1978) कि जिला परिवहन कार्यालय जमशेदपुर में 15 बिहार की गाड़ियों के संबध में जो दूसरे राज्य में प्रवासित हो चुकी थी । सितम्बर, 1976 से मार्च, 1978 के दौरान उनके कर दायित्व को जांच किये बिना ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया था । साथ ही वाणिज्यक कर अंचल के अभिलेखों से पता चला कि 15 गाड़ियों में से तीन गाड़ी अगस्त, 1972 से मार्च, 1978 के बीच की अवधि के दौरान 29,925 रुपये की राशि का यात्रा और माल कर नहीं दिया गया था ।

इसकी सूचना सरकार को अक्टूबर, 1978 में दिया गया था लेकिन उत्तर अप्राप्त है । (अप्रील, 1979)

विभागीय स्पष्टीकरण

उत्तर के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी जमशेदपुर को इस कार्यालय के पत्रांक 5121, दिनांक 3 जून, 1983 तथा स्मार 7593, दिनांक 23 सितम्बर, 1983 एवं 7438 दिनांक 23 जुलाई, 1985 भेजा गया। विभागीय पदाधिकारियों को बैठकों में भी उत्तर भेजने के लिए कहा गया। अन्तिम स्मार सचिव के हस्ताक्षर से इस कार्यालय के पत्रांक 7438 दिनांक 25 जुलाई 1985 द्वारा गया परन्तु उत्तर अभी तक अप्राप्त है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि:—

1 अवनिर्धारण की राशि की वसूली जल्द-से जल्द की जाय।

2 इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाय। की गई कार्रवाई से समिति को 6 माह के अन्दर अवगत कराया जाय।

[redacted]

फर्जी चालानों की स्वीकृति

मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 के अन्तर्गत सरकार को देय रकमें विहित प्रपत्र में चालान द्वारा कोषागार में जमा करना है बिहार कोषागार संहिता और राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्गत कार्यपालिका आदेशों के अनुसार चालानों को कोषागार में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व उन अधिकारियों के द्वारा जिनके पक्ष में रकमें जमा की जाती है जांच कर दिया जाना चाहिए और इस तरह की जमा राशियों का विभागीय अधिकारी द्वारा कोषागार अभिलेखों से त्रैमासिक सत्यापन कर लिया जाना है।

लेखा परीक्षा के दौरान (अगस्त 1975 और नवम्बर, 1975) पाया गया कि गया जिला परिवहन कार्यालय में 32,906.73 रूपये का मोटर यान कर और लाइसंस फीस 114 चालानों के आधार पर निपटारा किया गया समझा गया (104 मामले 32,802.73 रुपये तथा 10 मामला 104 00 रुपये) 109 चलानों द्वारा कुल 30,364.23 रुपये की अदायगी कोषागार या बक के लेखाओं

में खोजने पर नहीं पता लगा। 2,542 50 रुपये जमा करने के उद्देश्य से केवल पांच चालानों में केवल 222.50 रुपये ही जमा किया गया है इस प्रकार इन चालानों की स्वीकृति दे देने से 32,684 23 रुपये की हानि हुई। कोषागार के अभिलेखों में जमा की गई राशियों का आवधिक सत्यापन और प्राप्तियों का कोषागार के अभिलेखों के साथ समाधान के संबंध के अनुदेशों का पालन न करने के कारण इन फर्जी चालानों का पता नहीं चल सका।

इसकी सूचना विभाग को अगस्त और नवम्बर 1975 के बीच तथा सरकार को अक्टूबर और दिसम्बर 1975 के बीच दी गई थी। राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार ने बताया कि (जनवरी 1978) 72 मामलों में जुर्माने के साथ-साथ पथ कर और लाईसेंस फीस 26,272 रुपये वसूल किया गया है और शेष गाड़ियों को जप्त करने के लिए तथा लाईसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गयी है। संबंधित गाड़ी मालिकों के विरूद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सूचना भी दी गई है। पुलिस जांच-पड़ताल के परिणामों तथा शेष पथ कर और फीस की वसूली से संबंधित प्रतिवेदन अपेक्षित (जनवरी 1979) है। से अक्टूबर 1973 की अवधि से पहले की जांच पड़ताल सावधिक लेखा परीक्षा के सलाह पर वित्त विभाग के आंतरिक लेखा परीक्षा के द्वारा शुरू की गई थी जिसके परिणाम अपेक्षित है (अप्रील 1979)

विभागीय उत्तर

1. जिला परिवहन पदाधिकारी, गया ने सूचना दी है कि जिला परिवहन कार्यालय द्वारा चालान की चार प्रतियां पास करने के पश्चात गाड़ी मालिक द्वारा कोषागार को भेजा जाता था तथा कोषागार से पास होने के पश्चात् संबंधित गाड़ी मालिक रुपया बैंक में जमा करते थे।

दो प्रतियां बैंक द्वारा गाड़ी मालिक को तथा एक प्रति कोषागार को वापस कर दिया जाता था गाड़ी मालिक द्वारा चालान की एक प्रति जो कार्यालय में प्रस्तुत होता था उस के आधार पर परिवहन कार्यालय कर प्रति के निर्गत करना था। नियमत: कोषागार की चालान की एक प्रति कार्यालय के वापस करना था परन्तु समय पर एक प्रति कार्यालय में प्राप्त नहीं हो सकी जिसके चलते गाड़ी मालिक द्वारा प्रस्तुत चालान यथा कोषागार के प्रति से मिलान न हो सका।

2. इस सम्बन्ध में मुकदमा दायर किया जा चुका है।

3. 26,320-75 रु० की वसूली की जा चुकी है तथा शेष 6,373-84 रु० वसूल करने के लिए प्रमाण पत्र मुकदमा दायर किया गया है।

4. इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाईन गया में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है जो अभी अनुसंधान में है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि:—

1 अवनिर्धारण की राशि की वसूली जल्द से जल्द की जाय।

की गई कार्रवाई से समिति को 6 माह के अन्दर अवगत कराई जाय।

क्रमांक—38

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1977-78 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.4

मोटर यान कर की गलत दरों को लागू करना

बिहार और उड़ीसा मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम 1930 के अन्तर्गत व्यवहार के लिए रखी गई प्रत्येक मोटर गाड़ी पर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में विहित दर पर कर देय है।

लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1978) कि जिला परिवहन कार्यालय धनबाद के अन्तर्गत पांच मोटर गाड़ियों पर जुड़वा गाडी ट्रेलर के रूप में गलत लदान भार को लाग करने और दूसरे राज्यों से प्रवासित गाड़ियों पर राज्य के नये पंजीकरण चिन्ह लगाने के बाद भी उन राज्यों के द्वारा लगाये गये कर की निरंतर दरों को लागू करने के कारण प्रति गाड़ी प्रति तिमाही 576.15 रुपये से 3,730.45 रुपये के बदले 554.15 रुपये से 1 984.30 रुपये के भिभिन्न दरों से कर लगाया गया। फलस्वरूप जून 1976 से दिसम्बर, 1978 के बीच में विभिन्न अवधियो में 19,108 रुपये का कम कर लगाया गया। जून 1978 में विभाग ने सूचित किया कि संबंधित गाड़ियों के मालिकों से राशियों की वसूली के लिए मांग पत्र निर्गत किया जायेगें रिपोर्ट अपेक्षित है (जनवरी 1979)

विभागीय उत्तर

1. इसके उत्तर के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी धनबाद को इस कार्यालय के पत्रांक 5121, दिनांक 3 जून 1983, 6761, दिनांक 13 अगस्त, 1983

6906, एवं 7907, दोनों दिनांक 22 अगस्त, 1983, 7561, दिनांक 23 सितम्बर, 1983 7306, दिनांक 22 जुलाई 1985 तथा 7438 दिनांक 25 जुलाई, 1985 सचिव के हस्ताक्षर से लिखा गया परन्तु अभी तक उत्तर अप्राप्त है। उत्तर मिलने पर ही समिति को जानकारी दी जा सकती है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति [illegible] है कि—

1. अवनिर्धारण की राशि की वसूली शीघ्र [illegible]
2. इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाय।

की गई कार्रवाई से समिति को 6 माह के अन्दर अवगत कराया जाय।

क्रमांक-39

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1977-78 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.5

सर्वोत्तम् निर्णय पर देय कर का गलत निर्धारण

बिहार सवारी और माल (लोक सेवा मोटर गाड़ियों द्वारा ढोये गये) कराधान अधिनियम 1961 के अन्तर्गत लोक सेवा मोटर गाड़ियों द्वारा ढोये गये सवारी और माल पर कर ऐसी गाड़ियों के मालियों को देय किराये और भाड़े की निश्चित प्रतिशतता पर लगाया जाता है। अधिनियम और उसके तहत बने नियमों में एक संविरचना योजना का उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत वाणिज्यिक कर आयुक्त गाड़ी के एक मालिक को इस अधिनियम के अधीन देय कर के बदले में एक अधिसूचित निश्चित शुल्क देने की आज्ञा प्रदान कर सकते हैं।

ऐसे मामलों के जहां किसी निधारिती के द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी, लेखे और अन्य साक्ष्य विहित प्राधिकारी की राय में गलत, अपूर्ण, या अविश्वसनीय है तो ऐसी हालत में कर का निर्धारण प्रधिकारी को यह अधिकार है कि वह अपने सर्वोतम निर्णय पर मालिकों पर देय कर का निर्धारण करें। 1 जनवरी 1965 में विभाग ने सभी कर निर्धारण अधिकारियों को अनुदेश निर्गत किया कि सर्वोतम निर्णय के आधार पर कर निर्धारण संविरचना दर से अधिक होना चाहिये क्योंकि कर के बदले में निश्चित फीस की दर तुलनात्मक रूप से कम स्तर पर परिवहन मालिकों को सविरचना के लिए याचिका देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निश्चित की गई थी। जून 1973 में विभाग ने पुनः आदेश दिया कि सर्वोतम निर्णय के आधार पर देय कर निर्धारण संविरचना

योजना के अन्तर्गत देय रकम से कम नहीं होना चाहिये और यदि ऐसा कोई मामला उठे तो निर्णय के लिए इसे विभागाध्यक्ष के पास भेज देना चाहिए।

लेखा परीक्षा क्रम में देखा गया कि बहुत मामलों में कर का निर्धारण देय कर और भाड़ा से प्राप्त अनुमानित आय के आधार पर सर्वोतम निर्णय पर निर्धारित किया गया और संविरचना योजना के अन्तर्गत देय रकम से भी कम था इन मामलों को विभागाध्क्ष के पास नहीं भेजा गया था जिसके चलते 1,47,715 00 रुपये का कम कर निर्धारण किया गया।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस सम्बन्ध में विभाग से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

अंकेक्षण आपत्ति का उत्तर नहीं भेजना एक चिंता का विषय है जिस पर समिति अपना क्षोभ प्रकट करती है और अनुशंसा करती है कि इस कंडिका में [illegible] अंकेक्षण [illegible] पूर्ण एवं [illegible] उत्तर समिति को ... दी जाय।

क्रमांक — 40

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1977-78 (रा०प्रा०) की कंडिका 4.6
यात्री किराये का गलत निर्धारण

बिहार सवारी और माल लोक सेवा मोटर गाड़ियों द्वारा ढोये गये पर कराधान अधिनियम 1961 यथासंशोधित के अनुसार वसूल किये गये किराये पर कर लगाया जाता है, और इसमें से कोई भी रकम किसी भी कारण जिसमें किराये के संग्रहण करने में व्यय भी शामिल है, को कम करने के अनुमति नहीं है।

लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (अगस्त 1977) कि वर्ष 1975-76 के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत कराधान के उद्देश्य से यात्री किराये के मद में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की प्राप्ति सत्यापन के बाद 12,31,87,640 रुपया (करो सहित) निर्धारित किया गया और इसी के अनुसार कर निर्धारण पूरा किया गया। निगम के संबंधित लाभ और हानि लेखे को देखने से यह पता चला कि 12, 32,56,259 रुपये की सकल किराया प्राप्तियों में से प्रोत्साहन का

भुगतान के रुप में दिखाए गये 68,619 रुपये घटाने के बाद किराया से निचल परिवहन प्राप्तियों के रूप में निगम के लाभ-हानी के लेखे में उक्त रकम (12,31,87,640 रुपये) को निगम ने क्रेडिट किया था, प्रोत्साहन की अदायगी पर व्यय के लिए अनियमित छूट और प्राप्त किए गये किराये की निवल रकम पर कर निर्धारण के कारण किराये का अवनिर्धारण हुआ और फलस्वरूप 13,724 रुपये का कम कर लगाया गया।

इसकी सूचना विभाग को नवम्बर 1977 में तथा सरकार को अगस्त 1978 में दी गई थी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अप्रील 1979)

विभागीय स्पष्टीकरण

यह विषय वित्त (वाणिज्यकर) विभाग से सम्बन्धित है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

[illegible] प्रतिवेदन में [illegible] सम्बन्धित विभागों के स्पष्टीकरण हेतु [illegible] उत्तर नहीं प्राप्त होते या असंतोषजनक उत्तर [illegible] प्रतिवेदन में सन्निविष्ट कर दिये जाते हैं। [illegible] समय तत्पर रहते तो संभवतः [illegible] नहीं किया जाता।

अतः समिति अनुशंसा करती है कि परिवहन विभाग वित्त (वाणिज्यकर) विभाग से सम्पर्क स्थापित कर अंकेक्षण आपत्ति का निबटारा कर दें।

की गई कारंवाई से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराया जाय।

[illegible]

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1977-78 (रा०प्रा०) की कंडिका 4 7

कर से अनियमित छूट

वर्ष 1973-74 के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के कर निर्धारण अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान (अगस्त 1977) में यह देखा गया कि डाक वैग की ढुलाई के लिए [illegible], 727 रुपये का भाड़ा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 285 के अनुसार कर मुक्त कर दिया गया था लेकिन संविधान के अनुसार संघ सरकार की सम्पत्ति पर किसी तरह का कर नहीं लगाया जाना है। लोक सेवा मोटर गाड़ियों द्वारा ढोए गये

माल और सवारी पर लगाने योग्य कर भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 56 के अन्तर्गत आता है और अनुच्छेद 285 के दायरे के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः डाक बैग की ढुलाई के लिए प्राप्तियों पर स्वीकृत की गई छूट अनियमित है जिसके चलते 19,182 रुपये कर का अवनिर्धारण हुआ ।

इसकी जानकारी विभाग को नवम्बर 1977 तथा सरकार को अगस्त 1978 में दी गई थी लेकिन उत्तर अप्राप्त है (अप्रील 1979)

विभागीय स्पष्टीकरण

(1) यह वाणिज्यकर विभाग से सम्बन्धित है ।

(2) 19,182 रु० की दी गई छूट की स्वीकृति वाणिज्यकर विभाग द्वारा दी गई है । यह छूट कर निर्धारण के समय हुआ था । फिर भी इसकी सम्पुष्टि वाणिज्यकर विभाग से कर ली जाय ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

परिवहन विभाग वित्त (वाणिज्यकर) विभाग से सम्पर्क स्थापित कर अंकेक्षण आपत्ति का शीघ्र निपटारा कर दें ।

की गई कारवाई से समिति को 6 माह के अन्दर अवगत करावे ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1977-78 (रा०प्रा०) की कंडिका 4.8

क्रमांक--42

गलत दरों को लागू करना

सहायक आयुक्त, वाणिज्यक कर विशेष अंचल (पटना) के लेखे की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि (अगस्त, 1977) कि कर निर्धारण प्राधिकार ने 1973-74 और 1975-76 वर्षों के दौरान भाड़े मद में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की आय 22,01,854 रुपये निर्धारित किया । 20 प्रतिशत की दर से ऐसे भाड़े पर यात्रियों से निगम द्वारा संग्रहीत कर को घटाने और उस आय में शामिल करने के बाद भाड़ा प्रभार का निवल कर योग्य रकम 18,34,879 रुपये आंकी गई और 3,66,976 रुपये का कम निर्धारण किया गया । चूंकि कर की दर संशोधित की गई थी और 1 अप्रील, 1973 से इसे 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत

कर दिया गया था जिसके फलस्वरुप 1973-74 और 1975-76 के दौरान कम कर निर्धारण किया गया। इस मामले में कम कर निर्धारण की वास्तविक रकम पहली अप्रील से 8 अप्रील 1973 की आय के ब्योरे के अभाव में निश्चित नहीं की जा सकी 19 अप्रील 1973 से 18,34,879 रुपये के भाड़े की निवल रकम पर 5 प्रतिशत की दर से संगणना करने पर अवनिर्धारण की राशि 91,744 रुपये हुई ।

विभागीय स्पष्टीकरण

यह विषय वित्त (वाणिज्यकर) विभाग से सम्बन्धित है ।

समिति का निष्कर्ष एवं [illegible]

अंकेक्षण प्रतिवेदन में आपत्ति लाने के पूर्व महालेखाकार कार्यालय द्वारा सम्बन्धित विभागों को स्पष्टीकरण हेतु [illegible] और निर्धारित अवधि में उत्तर नहीं प्राप्त होने या [illegible] होने पर ही आपत्ति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में सन्निविष्ट कर दिया [illegible] है । विभाग यदि उसे [illegible] जाता ।

अतः समिति अनुशंसा करती है कि परिवहन विभाग वित्त (वाणिज्यकर) विभाग से [illegible] कर अंकेक्षण आपत्ति [illegible] कर दे।

की गई कार्रवाई से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराया जाय ।

[illegible]—43

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1977-78 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.9

फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर कटौती की मान्यता

बिहार सवारी और माल (लोक सेवा मोटर गाड़ियों द्वारा ढोये गये) पर कराधान अधिनियम 1961 तथा उसके तहत बने नियमों में "संविरचना योजना" की व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत वाणिज्यक आयुक्त लोक सेवा गाड़ी के किसी मालिक को अधिनियम के अंतर्गत देय कर के बदले में अधिसूचित निश्चित शुल्क देने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है । इन उपबन्धों के अनुसार आयुक्त समय-समय पर विभिन्न तरह की गाड़ियों के मालिकों द्वारा देय निश्चित शुल्क की दर सूचित

करता रहा है। एक ट्रक के मामले में 31 मार्च, 1976 तक यह ट्रक की ढुलाई क्षमता के आधार पर एक मासिक दर निश्चित की गई थी किन्तु निगम उस अवधि के लिए देय राशि में से आनुपातिक कटौती की अनुमति देती है, अगर मालिक अपनी गाड़ी बिगड़ने का या व्यापार बंद होने का दावा करता है। वाणिज्यिक आयुक्त ने सभी कर निर्धारण पदाधिकारियों को आदेश दिया (जुलाई, 1969) कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी या जिला परिवहन कार्यालय के अभिलेखों को परिवहन चालकों द्वारा दावे किये गये बंदी की स्वीकृति प्रदान करते समय जांच कर ले।

लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई, 1977) कि वाणिज्य कर अंचल मुजफ्फरपुर के अंतर्गत तीन कर निर्धारितो (ट्रक मालिकों) ने 20 मई, 1973 और 31 दिसम्बर, 1975 के बीच विभिन्न अवधियों में व्यापार बद करने का दावा किया जिसके पक्ष में उनके द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये थे जो जिला परिवहन पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा हस्ताक्षरित समझे गये थे। कर निर्धारण पदाधिकारी ने बंदी की अवधियों का दावा की तथ्यों का परिवहन कार्यालय में रखे गये अभिलेखों से जांच कराये बिना ही दावा के लिए कटौती की अनुज्ञा प्रदान करने के बाद का निर्धारण कार्य पूरा किया। चूंकि प्रमाण-पत्रों में संख्या और निर्गत करने की तिथि अंकित नहीं थी, परीक्षण क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी मुजफ्फरपुर उनके प्रमाण-प्रत्रों की वास्तविकता या अन्यथा के लिये सत्यापन के लिए संकेत किया। अगस्त 1977 और सितम्बर, 1977 में सम्बन्धित परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि अभ्यर्पण प्रमाण पत्र असली नहीं थे। कर निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत किये गये जालीप्रमाण पत्रों के आधार पर परिवहन पदाधिकारी की अभिलेखों के संदर्भ में तथ्यों की जांच किये बिना जैसा विभागीय अनुदेशों के अनुसार आवश्यक है कर में छूट की स्वीकृति देने के कारण 14,338 रुपये के कर का अव निर्धारण हुआ।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस संबंध में विभाग में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

[illegible] योजना। एक चिंता का विषय है जिसपर समिति अपना क्षोभ प्रगट करती है और अनुशंसा करती है कि इस कंडिका में

वर्णित अंकेक्षण आपत्ति का पूर्ण एवं संतोषजनक उत्तर समिति को छः माह के अन्दर दी जाय ।

क्रमांक-44

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1977-78 (रा० प्रा०) की कंडिका-4 10

सवारी और माल कर की लागत दर को लागू करना

बिहार सवारी और माल (लोक सेवा मोटर गाड़ियों द्वारा ढ़ोये गये) पर कराधान अधिनियम 1961 के अन्तर्गत देय कर 9 अप्रील, 1973 से लोक सेवा मोटर गाड़ियों के मालिकों को देय भाड़ा और किराया का 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत बढ़ा दिया गया ।

लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि (मई 1977 और दिसम्बर, 1977 के बीच) (6 वाणिज्य कर अंचलों) गिरीडीह, बाढ़, देवघर, दानापुर, हजारीबाग और बोकारो) में लोक सेवा मोटर गाड़ियों के 18 मालिकों पर 20 प्रतिशत की दर से पूर्व संशोधित दर से अप्रील, 1973 और सितम्बर, 1976 के बीच प्राप्त किये गये किराये और भाड़े से प्राप्त आय पर कर निर्धारण किया गया । गलत दर लागू करने से 66 461 रूपये कम कर लगाया गया ।

इसकी सूचना विभाग को जुलाई, 1977 और अप्रील, 1978 के बीच दी गयी थी लेकिन उत्तर अप्राप्त है (अप्रील, 1979) ।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस संबंध में विभाग से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

अंकेक्षण आपत्ति का उत्तर नहीं भेजना एक गम्भीर का विषय है जिस पर समिति अपना क्षोभ प्रगट करती है और अनुशंसा करती है कि इस कंडिका में वर्णित अंकेक्षण आपत्ति का पूर्ण एवं संतोषजनक उत्तर को छः माह के अन्दर दी जाय ।

क्रमांक 45

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1978-79 (रा०प्रा०) की कंडिका-4 1

यात्रियों पर कर नहीं लगाना

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम और 307 मिनी बसों के निजी चालकों जो इन्हीं मार्गों पर चलाने के लिए अधिकृत हैं के बीच हुए करारनामें की शर्तों के अनुसार निजी चालकों को विहित यात्रा कर देना था। यद्यपि मार्ग परमिट निगम को ही दिया गया था, किन्तु निगम ने यात्रियों पर कर लगाने के लिए यानों का विवरण वाणिज्य-कर विभाग के पास नहीं भेजा।

लेखा परीक्षा में यह पाया गया (सितम्बर, 1979) कि 161 मिनी बसों के निजी चालकों ने अपने यानों का पंजीकरण जैसा कि यात्रियों और माल पर (लोक वाहक मोटर यानों द्वारा ढोये जाने वाले) बिहार कराधान अधिनियम 1961 के अन्तर्गत आवश्यक है, वाणिज्य-कर विभाग से नहीं कराया गया। इन मामलो में लगाने योग्य यात्रियों पर कर का नवम्बर, 1974 से अगस्त, 1979 की अवधि में कर की जगह पर संविरचना फीस की दर से हिसाब करने से 4,90,303 रुपये हुए। इसका विभाग ने न तो निर्धारण किया और न मालिकों ने ही भुगतान किया। बिहार यात्रियों और माल पर कर अधिनियम 1961 के अनुसार हिसाब करने से लगाने योग्य दण्ड की अधिकतम राशि 1,61,000 रुपये हुई।

विभागीय स्पष्टीकरण

चूंकि गाड़ियों का निबन्धन जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में होता है अतः यह समझा गया कि वाणिज्य-कर विभाग अपने स्तर से जिला परिवहन कार्यालय से गाड़ियों की सूची उपलब्ध कर, कर लगाने का कार्य करता होगा, अतः निगम अपने नियंत्रणाधीन परिचालित मिनी बसों की सूची वाणिज्य-कर विभाग को भेजना आवश्यक नहीं समझा। वर्ष, 1978 में कतिपय निजी परिचालकों द्वारा उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया कि वाणिज्य-कर का भुगतान निगम को करना चाहिए। उच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया कि चूंकि यात्रियों से लिये गये भाड़े में ही यात्री कर सम्मिलित रहना है और भाड़ा परिचालकों द्वारा लिया जाता है। अतः यात्री कर का भुगतान परिचालकों को करना है।

उपरोक्त मुकदमें के बाद से 1978 से ही निगम बसों की परिचालन अनुमति की एक प्रति वाणिज्य-कर विभाग को भेज रही है। इसके अतिरिक्त रद्द गाड़ियों की सूची भी प्रत्येक माह मे वाणिज्य-कर विभाग को भेजी जा रही है।

[redacted]

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1978-79 (रा० प्रा०) की कंडिका-4 2

पंजीकृत लदान-भार में संशोधन

छपरा, मुंगेर, रांची, डेहरी और पटना के जिला परिवहन कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया (अक्टूबर, 1977 से मार्च, 19 9 तक) कि 28 यानो के लदान-भार के सम्बन्ध में विभागीय अनुदेशों का कार्यान्वयन में, गलती से सरकार द्वारा निश्चित आंकड़ों से एक क्रम निर्धारित किया गया था। इसके फलस्वरुप अगस्त, 1976 और मार्च, 1979 के दौरान विभिन्न अवधियों में 23,340 रुपये की कम कर वसूली हुई। किसी आन्तरिक लेखा परीक्षा के अभाव में यह भूल पकड़ी नहीं गई।

जब लेखा परीक्षा में इस बात की चर्चा हुई (अक्टूबर, 1977 से मार्च, 1979 के दौरान) तो विभाग ने बताया कि (अक्टूबर, 1977 और मई, 1979 के बीच) रांची के तीन यानों के पंजीकृत लदान-भार का संशोधन कर दिया गया है एक मामले में अतिरिक्त कर वसूल कर लिया गया है और अन्य यानों के मामले में तथा बकाया वसूल करने के लिए लदान-भार में संशोधन के लिए मालिकों को सूचनाएं दी जा रही हैं। अगले प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है (जनवरी, 1980)।

विभागीय उत्तर

जिला परिवहन पदाधिकारी छपरा, मुंगेर तथा पटना से उत्तर नहीं प्राप्त होने के कारण कोई समुचित कार्रवाई नहीं की जा सकी है। सिर्फ जिला परिवहन पदाधिकारी डेहरी तथा रांची का ही उत्तर प्राप्त हुआ है। पुनः उत्तर प्राप्त होने पर इसकी जांच कर समिति को जानकारी दी जा सकती है। सभी को स्मार किया गया है।

2. (क) जिला परिवहन पदाधिकारी रांची से यह सूचना प्राप्त हुई कि गाड़ी संख्या-बी० एच० एन० 754, 9376 तथा 944 के विरुद्ध बकाया कुल राशि 733-34 की वसूली की जा चुकी है और शेष 12 गाड़ियों के विरुद्ध 4,620-02 पैसा की वसूली हेतु नीलाम पत्र दायर किया गया है।

(ख) महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदन सं०-563/78-79 के आलोक में ज़िला परिवहन पदाधिकारी डेहरी ने सूचित किया है कि ट्रक सं०-बी० आर० जेड० 3273 पूर्व में कानपुर में निबंधित थी जिसकी सं० एम० बी० ई० 7505 थी। 5.1.75 को इस गाड़ी का एसाइनमेंट किया गया। पूर्व निबंधन के समय गाड़ी का लदान वजन 1,33,445 के० जी० कानपुर द्वारा किया गया था। अंकेक्षण दल द्वारा आपत्ति अंकित करने के बाद गाड़ी का लदान वजन 14385 के० जी० कर दिया गया एवं 1 जनवरी, 1979 से 840-15 रु० प्रति तिमाही की दर से कर वसूली जा रही है। इससे पूर्व की अवधि 1 अगस्त, 1975 से 31 दिसम्बर, 1978 तक की अवधि में जो 1192-00 कम कर दिया गया था उस कर की वसूली स्क्रौल सं०-10 दिनांक 26 सितम्बर, 1979 के द्वारा की जा चुकी है।

ट्रक सं०-बी० आर० सी० 1224 का टैक्स 30 जून, 1976 तक भुगतान था। गाड़ी का टैक्स 1 अक्टूबर, 1976 से 31 दिसम्बर, 1976 की अवधि का जमा किया गया। किन्तु कार्यालय में चालान जमा नहीं किया गया और गाड़ी प्रत्यार्पित ही रही। बाद में इसी चालान को 1 अप्रील, 1977 से 30 जून, 1977 की अवधि का टैक्स मानकर गाड़ी को प्रत्यर्पण से मुक्त किया गया था। बिहार मोटर गाड़ी टैक्सेशन अधिनियम 1930 में समायोजन का कोई प्रावधान नहीं है। अतः 1 अप्रील, 1977 से 30 जून, 1977 का टैक्स 532-15 रु० जमा करने की नोटिस देने पर उक्त रकम स्क्रॉल सं०-11 दिनांक 20 अक्टूबर, 1981 द्वारा जमा कर दिया गया है।

बस सं०-बी० आर० जेड 4623, दिनांक 31 मई, 1977 को निबंधन किया गया था। 1 मई, 1977 का टैक्स जमा नहीं किया गया था उसे स्क्रौल सं-26, दिनांक 13 जनवरी 1979 के द्वारा 174-05 रु० की वसूली कर ली गयी है।

2 पूर्ण रूप से सभी का उत्तर प्राप्त होने पर ही उचित कार्रवाई संभव है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि:—

(1) अवनिर्धारण की राशि की वसूली जल्द से जल्द की जाय।

(2) की गई कारवाई से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराई जाय।

कंडिका-47

परीक्षण प्रतिवेदन 1978-79 (रा० प्रा०) कंडिका 4.3

गैर-चालू घोषित किन्तु काम लिये जाने वाले यानों से कर वसूल नहीं किया जाना

लेखा परीक्षा के दौरान (मई और जून 1977) यह पाया गया कि दो जिलों में (रांची और धनबाद) विभाग की एनफोर्समेंट शाखा ने तीन यानों को पकड़ा जिनके बंद रहने की सूचना कराधान अधिकारियों को दी गई थी। वे यान सूचना में कथित अवधि के दौरान सड़कों पर चलाये जा रहे थे। इन मामलों में देय कर की राशि 31,301 रुपये हुई जिसका न तो निर्धारण किया गया और न वसूली हुई। लगाये जानेवाले दंड की राशि 9,447 रुपये हुई। जब इस बात की सूचना लेखा परीक्षा द्वारा दी गई है (मई 1977 और जून 1977) तो विभाग ने बताया (मई, 1977 और जून 1977) कि बकाया वसूल करने के लिए कारवाई की जा रही है। अगले प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है। (जनवरी 1980)

विभागीय उत्तर

रांची तथा धनबाद प्रवर्त्तन पदाधिकारी एवं परिवहन दण्डाधिकारी को उत्तर देने के लिए लिखा गया परन्तु उत्तर अप्राप्त है। समिति इसके लिए समय देने की कृपा करें क्योंकि यह पुराना मामला हो गया है और उस समय के प्रवर्त्तन पदाधिकारी तथा परिवहन दण्डाधिकारी भी पदस्थापित नहीं है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि:—

(1) अ निर्धाण की राशि की वसूली जल्द से जल्द की जाय।

(2) इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कारवाई की जाय। की गई कारवाई से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराई जाय।

क्रमांक-48

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1978-79 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.4

बिना कर अदा किये यान चलाना।

बिना कर दिये गाड़ी चलाना बिहार और उड़ीसा यान कराधान अधिनियम 1930 के अन्तर्गत अपराध है और ऐसे अपराध के लिए वार्षिक कर को डेढ़ गुणा तक जुर्माना किया जा सकता है। जिला परिवहन कार्यालय धनबाद की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया (जून 1977) कि अप्रैल 1970 से जून 1977 तक विभिन्न अवधियों में छ: यानों के संबंध मे मोटर यान कर की किस्ते नहीं दी गयी, थी हलांकि यह बताने वाला अभिलेख भी नहीं था कि विचाराधीन अवधि में यान गैर-चालू अवस्था में पड़े थे और यह कि विहित प्रक्रिया के अनुसार उनके लिए कर-मुक्ति का दावा किया गया था। इस पर भी विभाग की इन्फोर्समेन्ट शाखा ने 1975 से 1976 के बीच कई अवधियों में पकड़ा था कि यान संबधित अवधियों में वास्तविक रुप में सड़कों पर चलाये जा रहे थे, किन्तु इन यानों पर कर लगाने और कर वसूल करने की कोई करंवाई नही की गई थी। इसके फलस्वरुप 31,778 रुपये के पथ कर की वसूली नहीं हुई इन मामलों में अधिकतम जुर्माने की राशि हिसाब करने पर 11,459 रुपये हुई।

जब लेखा परीक्षा में बताया गया (जन 1977) तब विभाग ने बताया (जून 1977) कि इन्फोर्समेंट अधिकारियों और परिवहन दंडाधिकारियों द्वारा मुकदमा दायर करने के मामलों की सूचना प्राप्त करने को कोई प्रणाली नहीं हैं और यह कि इस बात को सूचना आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य परिवहन आयुक्त को दी जा रही है। अगले प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है (जनवरी 1980)।

विभागीय उत्तर

इसके सम्बन्ध में प्रवर्त्तन पदाधिकारी धनबाद तथा परिवहन दण्डाधिकारी धनबाद से उत्तर की मांग की गई है तथा उसके लिए स्मार भी दिए गए हैं।। उत्तर अप्राप्त है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के अलोक में समिति अनुशंसा करती है कि

(1) अब निर्धारण की राशि का वसूली जल्द से जल्द की जाय।

(2) इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाय। की गई कार्रवाई से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराई जाय।

क्रमांक 49

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1978-79 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.5

पथ कर की गलत दरों को लागू करना।

बिहार और उड़ीसा मोटर यान कराधान अधिनियम 1930 के अन्तर्गत हर यान के लिए जो उपयोग के लिए रखा जाता है, अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निश्चित की गई दरों के अनुसार कर देना पड़ता है। चार जिला परिवहन कार्यालयों (रांची, छपरा, धनबाद और डेहरी) के अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने से यह पता चला कि (मई 1977 और नवम्बर 1978 के बीच) 69 यानों पर विहित कर की दरों, 483 75 रुपये से 1,592.50 रुपये प्रति यान प्रति तिमाही की जगह पर 35.75 रुपये से 1,579.65 रुपये प्रति यान प्रति तिमाही की विभिन्न दरों से कर लगाया गया था जो गलत लदान-भार के लेने और यानों में सीटों की न्यून क्षमता तथा न्यून कर की दरों को अपनाने से हुआ। इसके परिणामस्वरुप, अक्तूबर 1967 से मार्च 1979 तक की विभिन्न अवधियों में हिसाब करने से 56,890 रुपये के कर की कम उगाही हुई। आंतरिक लेखा परीक्षा के अभाव में ऐसी भूलें पकड़ी नहीं जा सकी।

जब इन बातों की सूचना लेखा परीक्षा द्वारा विभाग को दी गई (मई, 1977 से नवम्बर, 1978) तो विभाग ने बताया (मई 1977 और मई 1979 के बीच) कि रांची जिले के अधिकतर मामलों में मांग की नोटिस जारी कर दी गई है और शेष उन सभी मामलों में जहां कम कर वसूल किया गया, वसूल करने की कार्रवाई की जा रही है अगले प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है। (जनवरी 1980)।

विभागीय उत्तर

1. (क) जिला परिवहन पदाधिकारी डेहरी ने सूचित किया है कि तीन गाड़ियों से कुल 1898.80 रु० वसूल कर लिया गया है।

(ख) जिला परिवहन पदाधिकारी, रांची ने सूचित किया है कि कुल 21 गाड़ियों में से ग्यारह गाड़ी मालिकों (क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15 तथा 20) द्वारा रु० 2821.85 जमा किया जा चुका है। क्रमांक 4 की गाड़ी सं० बी आर भी 3381 का रोड टैक्स रु० 774.15 प्रति

तिमाही के दर से 1 जनवरी 1976 से ही भुगतान किया जा रहा है। अतः इस गाड़ी के विरुद्ध 818.40 रु० नहीं बल्कि 484 रु० बाकी था जिसका भुगतान किया जा चुका है।

शेष दस गाड़ी मालिकों (क्रमांक 1, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, एवं 21) के विरुद्ध रु० 18,446-57 के विरुद्ध नीलाम पत्र दायर किया गया है।

इस प्रकार कुल 21,263-42 में गाड़ी सं० बी आर भी 3381 के विरुद्ध रु० 818-40 के बदले रु० 484 सहित कुल रु० 18,446-57 की वसूली हेतु नीलाम पत्र दवा कर दिया गया है।

2. भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विभाग ने समुचित व्यवस्था की है।

3. जिला परिवहन पदाधिकारी, छपरा एवं धनबाद से उत्तर नहीं प्राप्त होने के कारण वसूली की अद्यतन स्थिति की जानकारी नहीं दी जा सकी है। इसके लिए भी सम्बन्धित पदाधिकारियों को स्मार दिया गया है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि :—

1. [illegible] वसूली जल्द से जल्द की जाय।
2. [illegible] विरुद्ध उचित [illegible] जाय [illegible] से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराया जाय।

क्रमांक 50

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1978-79 (रा० प्रा०) की कण्डिका 4.6

विधि मान्यता कर की वसूली नहीं होना

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार पटना और हजारीबाग के दो कार्यालयों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने पर यह पता चला (मार्च, 1978 और मई 1978) कि 108 टैक्सियों के लिये पहले वर्ष के लिए विधि मान्यता फीस लेकर तीन वर्षों के लिये गए परमिट जारी किये गये थे। मालिकों द्वारा बाद के वर्षों की वार्षिक विधि मान्यता फीसें जो जनवरी 1975 से जनवरी 1977 की अवधि में देय हुई, नहीं दी गई थी। देय फीसों की वसूली के लिये विभाग ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसके फलस्वरुप 56,960 रुपये की फीस की वसूली नहीं हुई। उगाही के लिये जुर्माने की अधिकतम राशि 1,08,000 रुपये हुई।

इस बात की ओर जब लेखा परीक्षा ने आपत्ति की तो (मार्च 1978 और मई 1978) विभाग ने बताया (मार्च 1978 और फरवरी 1979) कि हजारीबाग क्षेत्र के 10 यानों की 3,710 रुपये की विधि मान्यता फीस वसूल कर ली गई है और अन्य मामलों में वसूल करने की कार्रवाई की जा रही है। (जनवरी 1980)

विभागीय उत्तर

इसके लिए प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, पटना हजारीबाग को उत्तर देने के लिये लिखा गया था। स्मार भी दिये गये हैं किन्तु उत्तर अप्राप्त है।

उत्तर प्राप्त होते ही समिति को जानकारी करा दी जायेगी।

[redacted]

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1978-79 (रा० प्रा०) की कंडिका 4 7

ट्रैक्टरों और ट्रेलरों पर कर की वसूली नहीं होना

जिला परिवहन कार्यालय, पटना के अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान (मार्च 1979) पता चला कि अप्रैल 1977 और फरवरी, 1978 के बीच पंजीकृत 77 ट्रैक्टरों और ट्रेलरों पर अप्रैल 1977 से मार्च, 1979 की अवधि में कर-मुक्त मान कर 43.258 रुपये का कर नहीं लगाया गया।

जब बात को लेखा परीक्षा में बताया गया (मार्च, 1977) तब विभाग ने बताया (मार्च, 1979) की राशि की वसूली के लिये कार्रवाई की जायेगी। (जनवरी, 1979)

विभागीय उत्तर

जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना को उत्तर बताने के लिए बहुत पहले लिखा गया था। कई स्मार भी दिये गये हैं परन्तु उत्तर अप्राप्त है।

उत्तर प्राप्त होते ही समिति को वस्तुस्थिति की जानकारी करायी जायेगी।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि:—

1. अवनिर्धारण की राशि की वसूली जल्द से जल्द की जाय।

2. इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कारंवाई की जाय।

की गई कारंवाई से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराई जाय।

क्रमांक—52

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1978-79 (रा० प्रा०) की कंडिका 4 8

बकाया कर वसूल किये बिना ही चलू कर की प्राप्ति स्वीकार करना

परिवहन कार्यालय जमशेदपुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह पायागया (नवम्बर, 1976, जुलाई, 1977 और जुलाई, 1978) कि 128 यानों के संबंध में चालू वर्ष के कर अक्टूबर, 1974 और अप्रैल, 1978 के बीच वसूल गये थे और बिना बकाया कर की वसूली के मालिकों को टोकन दे दिये गये। यद्धपि यानों के किसी अवधि में बेकार पड़े रहने को जिसके लिये कर नहीं दिये गये, सिद्ध करने वाले कोई अभिलेख नहीं थे। जनवरी 1972 और मार्च, 1978 की अवधि में बकाया कर, जो न लगाया गया और न वसूला गया, की राशि 87,012 रुपये हुई। इन मामलों में दंड की अधिकतम राशि का हिसाब करने से 25,600 रुपये हुये।

जब इस बात को लेखा परीक्षा ने उठाया (नवम्बर 1976) जुलाई, 1977 और जुलाई 1978) तो विभाग ने बताया (नवम्बर, 1976, जुलाई, 1177 और जुलाई, 1978) कि बकाया कर की वसूली के लिये माँग पत्र जारी किया जा रहा है (जनवरी 1980)

विभागीय उत्तर

इसके संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी, जमशेदपुर से उत्तर देने के लिये लिखा गया है। स्मार भी दिये गये है परन्तु उत्तर अप्राप्त है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि:—

1. अवनिर्धारण की वसूली जल्द से जल्द की जाय।

2.—इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाय । की गई कार्रवाई से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराई जाय ।

क्रमांक—53

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1978–79 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.10

कर की गलत संगणना

1 ली दिसम्बर 1971 से लोक सेवा मोटरयान के मालिकों का किराये और भाड़ें से प्राप्त आय का 20 प्रतिशत कर देने की देनदारी हो गई है ।

लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया (सितम्बर, 1978) कि पहली अप्रैल 1974 से 30 सितम्बर, 1975 की अवधि में एक लोक वाहक ट्रक चीरकुंडा अंचल, धनबाद द्वारा संग्रहीत किया गया भाड़ा 90,000 रूपये निश्चित किया गया था जिस पर 20 प्रतिशत के हिसाब से 18,000 रूपये की जगह 4,500 रूपये ही गलत संगणना के कारण निर्धारित किया गया था जिसके फलस्वरूप 13,500 रूपये की उगाही कम कर की हुई ।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस सम्बन्ध में विभाग से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

अंकेक्षण आपत्ति का उत्तर नहीं भेजना एक चिंता का विषय है जिस पर समिति अपना क्षोभ प्रगट करती है और अनुशंसा करती है कि इस कंडिका में वर्णित अंकेक्षण आपत्ति का पूर्ण एवं संतोषजनक उत्तर समिति को छः माह के अन्दर दी जाय ।

क्रमांक—54

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1979-80 (रा०प्रा०) की कंडिका 4.1

वर्द्धित लदान भार को लागू किया जाना ।

(क) गया, पूर्णिया और मुंगेर जिला परिवहन कार्यालय के 22 यानों के लदान भार के सम्बन्ध में विभागीय अनुदेशों के कार्यान्वयन में गलती से सरकार द्वारा निश्चित किये गये आंकड़े से कम निर्धारण किया गया था जिसके चलते 59,790 रूपये की हानि हुई ।

(ख) भागलपुर, पूर्णियां और मुजफ्फरपुर जिला परिवहन कार्यालय में विनिर्माता द्वारा प्रमाणित लदान भार से अधिक लदान भार के सम्बन्ध में आवश्यक पृष्ठांकन नहीं किया गया था, जिसके चलते अगस्त, 1975 और मार्च, 1980 के बीच इस मद में 24,012 रूपये की हानि हुई।

लेखा परीक्षा के दौरान इस आपत्ति को उठाने पर कराधान अधिकारियों ने बतलाया (दिसम्बर, 1979 और मार्च, 1980 के बीच) कि कर के अन्तर को वसूल करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

विभागीय उत्तर

(1) जिला परिवहन पदाधिकारी, गया ने यह सूचित किया है कि इसे जिले में 11 गाड़ियों से 26,186 रूपया वसूल करने का सुझाव था। इस सन्दर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक 1007, दिनांक 30 जुलाई, 1981 द्वारा राज्य परिवहन आयुक्त से आवश्यक निदेश मांगा गया था। पुनः 11 गाड़ियों की विस्तृत विवरणी सूची से स्पष्ट है कि सभी गाड़ियों का लदान क्षमता सरकार के पत्रांक–6108, दिनांक 25 जुलाई 1967 द्वारा पूर्व में ही इन गाड़ियों का लदान क्षमता बढ़ाया जा चुका है। पुनः निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर भी लदान क्षमता बढ़ाना औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

उपर्युक्त विभागीय आदेश के अनुसार लदान भार बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः इसकी अन्तर राशि के वसूलने का प्रश्न नहीं उठता है।

जिला परिवहन पदाधिकारी पूर्णियां/मुंगेर/भागलपुर तथा मुजफरपुर को कई स्मार भी दिया गया परन्तु उत्तर प्राप्त है। 2 तथा 3 उत्तर प्राप्त होते ही समिति को जानकारी करायी जायगी।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में समिति अनुशंसा करती है कि :—

1. अंकेक्षण आपत्ति का उत्तर असंतोषजनक है। जांच के समय ही इसकी सूचना [illegible] अतः आपत्ति की राशि को शीघ्र वसूल कर समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराई जाय।

(8)

क्रमांक-55

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1979-80 (रा०प्रा०) की कंडिका-4 2

यानों पर कर की वसूली न होना

लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मार्च 1978 और नवम्बर 1979) कि जिला परिवहन कार्यालय धनबाद और सारण में पांच यान मालिकों ने जनवरी 1972 और सितम्बर 1979 के बीच विभिन्न अवधियों में अपने यानों के लिए आवश्यक कर का भुगतान नहीं किया था यद्यपि उक्त यानों के लिए दिए गये कर टोकन अभ्यर्पित नहीं किये गये थे और न इन यानों के दुरूस्त होने का प्रमाण-पत्र समय-समय पर दिये गये थे। इन यानों द्वारा उक्त अवधि में 44,880 रूपये कर की राशि देय थी। परीक्षण के क्रम में जिला परिवहन अधिकारी सारण ने बताया कि (जुलाई 1980) 15,958 रूपये की मांग यान मालिकों से की गई है। वसूली सम्बन्धित प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। (अप्रील 1981)

इसकी सूचना विभाग को जुलाई 1978 और अप्रील 1980 में तथा सरकार को सितम्बर 1980 और दिसम्बर 1980 में दी गई थी, लेकिन उत्तर अप्राप्त है। (अप्रील 1981)।

विभागीय उत्तर

1. जबतक यानों पर कर भुगतान नहीं किया गया है, दुरूस्ती प्रमाण-पत्र मोटर यान निरीक्षकों के द्वारा नहीं दिया जाता है।

2. जिला परिवहन पदाधिकारी, धनबाद को इसके लिए कई स्मार दिये गये हैं परन्तु उत्तर अप्राप्त है। उत्तर प्राप्त होते ही समिति को जानकारी दे दी जायेगी।

3 परिवहन पदाधिकारी, छपरा को भी इसके लिए स्मार दिये गये हैं परन्तु उत्तर अप्राप्त हैं। उत्तर प्राप्त होते ही समिति को जानकारी कर दी जायेगी।

4 साधारणत: बिना कर दिये यान चलाना दोष पूर्ण है, और प्रवर्त्तन शाखा से जब इस प्रकार की गाड़ी पकड़ी जाती है तो उसे अभियोजित कर दी जाती है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि—

1. अवनिर्धारण की राशि की वसूली जल्द से जल्द की जाय।

2. इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कारंवाई की जाय। की गई कारंवाई से समिति को छः माह के अंदर अवगत करा जाय।

क्रमांक-56

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1979-80 (रा० प्रा०) की कंडिका 4.3

कर का भुगतान किये बिना यान चलाना

लेखा परीक्षा के दौरान जिला परिवहन कार्यालय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और रोहतास में पाया गया कि आठ यानों के अक्टूबर, 1974 और मार्च 1979 के बीच विभिन्न अवधियों के पथ कर की किश्तें जमा नहीं की गई थी। मोटर यान निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार इनमें से सात यान अप्रील 1978 और मार्च, 1979 के बीच सड़क पर दुर्घटना ग्रस्त हो गये और एक यान बिना अनुमति पत्र एवं कर टोकन के सड़क पर चलता था। पथ कर की राशि 47 318 रुपये की वसूली दुर्घटना पता लगने से तीन माह के अंतिम तिथि तक नहीं हुई थी। इसकी सूचना विभाग तथा सरकार को क्रमशः फरवरी और मई 1980 के मध्य तथा दिसम्बर 1980 में दी गई थी लेकिन उत्तर अप्राप्त है (अप्रील 1981)

विभागीय उत्तर

कर का भुगतान किये बिना यान चलाना

1. जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास (डेहरी) ने सूचना दी है कि ट्रक सं०-वी० आर० जेड० 3975 एवं 4661 वस्तुत क्रमशः 29.6 76 तथा 30.6 78 से प्रत्यार्पित थी जो प्रत्यार्पण पंजी में अंकित है। अतः बकाया कर की वसूली का प्रश्न भी उठता है।

जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर तथा मुजफ्फरपुर को उत्तर भेजने के लिए कई स्मार दिये गये हैं। परन्तु उत्तर प्राप्त है उत्तर प्राप्त होने पर समिति को जानकारी करा दी जायेगी।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। अतः इस के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि:—

1 अवनिर्धारण की राशि की वसूली जल्द से जल्द की जाय।

2 इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कारंवाई की जाय। की गई कारंवाई से समिति को छः माह के अंदर अवगत कराई जाय।

क्रमांक- 57

अकेक्षण प्रतिवेदन 1979-80 (रा० प्रा०) की कंडिका 4 4

कर से अनियमित छुट

लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि (फरवरी 1980) जिला परिवहन अधिकारी, मोतिहारी के अंतर्गत एक यान (बस) मालिक ने जनवरी, 1976 से दिसम्बर, 1979 तक की अवधि के लिए कर-मुक्ति का आवेदन 10 जनवरी, 1980 को इस आधार पर दिया कि यान 12 दिसम्बर, 1975 से 31 दिसम्बर, 1980 तक इंजन के ब्रेक डाऊन होने के कारण सड़क पर चला नहीं, यद्यपि मालिक द्वारा उस सम्पूर्ण अवधि के दौरान कर टोकन जिसके लिए कर-मुक्ति का दावा किया गया था अभ्यर्पित नहीं किया, फिर भी उस अवधि के लिए कर अधिकारी ने कर मुक्त कर दिया। मोटर यान निरीक्षक मोतिहारी ने 7 मई, 19 6, नवम्बर, 1976 तथा 4 अक्टूबर, को इस यान का निरीक्षण कर दुरुस्ती प्रमाण-पत्र का नवीकरण कर दिया था। कर टोकन के बिना अभ्यर्पण के कर-मुक्ति प्रदान करने से सरकार को 11,220 रुपये की हानि हुई। जुर्माना की राशि इस राशि में शामिल नहीं है।

इसकी सूचना विभाग को मई 1980 तथा सरकार को दिसम्बर, 1980 में दी गई थी लेकिन उत्तर अप्राप्त है (अप्रील 1981)।

कर से अनियमित छूट

विभागीय उत्तर

जिला परिवहन पदाधिकारी, मोतिहारी को उत्तर देने के लिए लिखा गया है और कई स्मार भी दिये गये हैं परन्तु उत्तर अप्राप्त है।

उत्तर मिलते ही समिति को जानकारी दी जायगी।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि :--

1. अवनिर्धारण की राशि की वसूली जल्द से जल्द की जाय।

2. इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाय। की गई कार्रवाई से समिति को छः माह के अंदर अवगत कराई जाय।

क्रमांक-58

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1979-80 (रा० प्रा०) की कंडिका 4 5

सड़क कर की संगणना में भूल।

लेखा परीक्षण के दौरान देखा गया, कि जिला परिवहन पदाधिकारी जमशेदपुर ने 26 यानों पर अधिनियम में विहित दर कम दर पर कर लगाया था अक्टूबर, 1974 और मार्च, 1980 के बीच की अवधियों में कम कर लगाने से सरकार को 24,117 रुपये की हानि हुई।

इसकी सूचना विभाग को सितम्बर, 1979 में तथा सरकार को दिसम्बर, 1980 में दी गई थी लेकिन उत्तर अप्राप्त है (अप्रील 1981)।

विभागीय स्पष्टीकरण

1. किसी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई नहीं की गई दीख पड़ती है। समय-समय पर बैठक में इस प्रकार की भूल नहीं करने का निदेश दिया गया है।

2. 15,800 रु० 60 पै० की वसूली की गई है तथा शेष 8,316 रु० 40 पै० के लिए मांग पत्र निर्गत किया गया है। आगे इस बिन्दु पर सतर्कता बरती जा रही है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

1. विभाग ने सतर्कता बरतने का आश्वासन दिया है। अतः समिति आशा करती है कि विभाग भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करेगी।

2. शेष राशि 8,316 रु० 40 पै० को शीघ्र वसूली किया जाय।

की गई कार्रवाई से समिति को 6 माह के अन्दर अवगत कराया जाय।

क्रमांक— 59

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1979—80 (रा0 प्रा0) की कंडिका 4.6

सर्टिफिकेट मुकदमों को रद्द करना

जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास और भागलपुर के लेखाओं की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया (नवम्बर और दिसम्बर 1979) कि 1976—77 और 1977—78 के दौरान 14 सर्टिफिकेट केस जनवरी 1969 और दिसम्बर 1977 की अवधि के बकाया पथ कर की वसूली के लिए किए गए जिन्हें सर्टिफिकेट

अधिकारी ने सर्टिफिकेट धारियों (जिला परिवहन अधिकारियों) को इस तरह के मामलों को निपटाने के लिए परिश्रम करने में सक्षम नहीं पाने के कारण रद्द कर दिया था। इन मामलों को रद्द करने से सरकार को कुल 94,243 रुपए की हानि हुई। सर्टिफिकेट केस की पैरवी नहीं करने के कारण फाईलों में दर्ज नहीं किए गए थे। किसी मामलों में सक्षम पदाधिकारी ने आदेशान्तर्गत न तो रकम की वसूली की गई और न बट्टे खाते में ही डाली गई। परीक्षण क्रम के दौरान पूछे पर जिला परिवहन अधिकारी रोहतास ने कहा (नवम्बर 1979) कि उनके कार्यालय से संबंद्ध मामलों पर (5 मामलों) जिसमें 35,569 रुपए का बकाया अन्तर्गस्त था। फिर से सर्टिफिकेट केस किए जायेंगे तथा वसूली की जायेगी।

इसकी सूचना विभाग तथा सरकार को क्रमश: जून 1980 तथा दिसम्बर, 1980 में दी गई थी लेकिन उत्तर अपेक्षित है (अप्रील 1981)

विभागीय उत्तर

जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास (डेहरी) ने सूचना दी है कि गाड़ी संख्या 1519, 1551, 990, 2211 विस्तृत विवरणी राज्य परिवहन के पत्र संख्या ए 2-201, 81 परि0 415 दिनांक 20 जनवरी 1981 के उत्तर में इस कार्यालय के पत्र संख्या 34, दिनांक 3 फरवरी 1981 के द्वारा भेजते हुए अनुरोध किया गया था कि जिन मामलों को नीलाम पत्र पदाधिकारी ने ड्राप कर दिया है उन मामलों में क्या किया जाय। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 374, दिनांक 31 अगस्त 1978, 149 दिनांक 7 जून 1980 तथा स्मार पत्र सं 256, विभाग में लम्बित है।

इस मामले की छानबीन कर समिति को वस्तुस्थिति की जानकारी करा दी जाएगी।

जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं यद्यपि कई स्मार दिए गए हैं।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि :—

1 अवनिर्धारण की राशि की वसूली जल्द से जल्द की जाय।

2 इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कारंवाई की जाय। की गई कारंवाई से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराई जाय।

क्रमांक—60

अंकेक्षण प्रतिवेदन 1979-80 (रा0 प्रा0) की कडिका 4 7

न्यायचित निर्णय के आधार पर बकाए कर का गलत निर्धारण

लेखा परीक्षण के क्रम में देखा गया कि तीन कर निर्धारण अंचलों डालटेनगंज, चिरकुंडा और गिरीडीह जून और अगस्त 1979 (छः कर दाताओं पर न्यायोचित निर्णय के आधार पर कर का निर्धारण भाड़े या किराया की अनुमानित आय के आधार पर हुआ जो 65 925 रुपए की राशि थी इस तरह में निर्धारित कर संविरचना योजना के अंतर्गत करदाता द्वारा देय फीस के 1,34, 043 रूपए की राशि से कम था इनमें से एक भी मामला विभागाध्यक्ष के पास नहीं भेजा गया था। कार्यपालिका के आदेशों की अवहेलना की गई जिसके कारण 68,118 रुपए की कम वसूली हुई।

इसकी सूचना विभाग को दिसम्बर 1979 और जनवरी 1980 में तथा सरकार को नवम्बर 1980 में दी गई थी लेकिन उत्तर अप्राप्त है।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस सम्बन्ध में विभाग से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है

समिति का निष्कर्ष एव सिफारिश

अंकेक्षण आपत्ति का उत्तर नहीं भेजना एक चिंता का विषय है जिस पर समिति अपना क्षोभ प्रकट करती है और अनुशंसा करती है कि:—

(1) उत्तर नहीं भेजने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाय।

(2) इस कंडिका में वर्णित अंकेक्षण आपत्ति का पूर्ण एवं संतोषजनक उत्तर समिति को छः माह के अन्दर दी जाय।

क्रमांक—61

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 (रा॰प्रा॰) की कंडिका 4.8

संविरचना योजना के अंतर्गत अनियमित कर निर्धारण

वाणिज्य कर अंचल किशनगंज के लेखा परीक्षा के क्रम में पाया गया कि 1 ली अप्रैल 1977 से मार्च 1978 के अवधि के अंतर्गत चार लोक

सेवा बसों के मालिकों ने कुल भाड़े एवं कर की वसूली क्रमशः 1,80 050 रु० और 45,012 रु० दिखाते हुए विवरण प्रस्तुत किया। इन बस मालिकों को निर्धारित अधिकारी द्वारा यह अनुमति नहीं दी गई कि वे उनके द्वारा देय कर की जगह निर्धारित फीस का भुगतान करें। उन्हें 32,324 रुपये के कर का भुगतान करने के लिए ही कर निर्धारण किया गया जो कि निर्धारित फीस के बराबर था। जिसके चलते 12,688 रु० की कम वसूली हुई।

इस बात की सूचना विभाग तथा सरकार को नवम्बर 1980 में दी गई थी सरकार ने कहा कि (मार्च 1981) की उक्त रकम के लिए मांग की गई और समस्त वसूली हो गई है।

विभागीय स्पष्टीकरण

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

अंकेक्षण आपत्ति में दर्शाये गये सरकार के उत्तर के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे निष्पादित समझती है।

क्रमांक—62

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 (रा०प्रा०) की कंडिका 4 9

भाड़े का अनियमित निर्धारण

लेखा परीक्षा में देखा गया कि (नवम्बर 1979) वाणिज्यक कर अंचल बाढ़ के अन्तर्गत एक लोक सेवा बस मालिक के विषय में उसके द्वारा 4 सितम्बर 1976 से जुलाई 1978 के दौरान प्राप्त की गई भाड़े की राशि न्यायोचित निर्णय के आधार पर 2,70,504 रु० तय की गई थी। एक यान को चालू रखने पर व्यय के रुप म 67,686 रु० की कटौती दे दी गई थी इस तरह की कटौती देना अनियमित था जिसके चलते 16 92[illegible] रु० की कम मांग की गई।

इसकी सूचना विभाग को और सरकार को क्रमशः मार्च 1980 और दिसम्बर 1980 में दी गई थी। लेकिन उत्तर अपेक्षित है (अप्रील 1981)।

विभागीय स्पष्टीकरण

अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में आवश्यक संशोधन हेतु बस मालिकों को नोटिस दिया गया है एवं संबंधित कारंवाई कर बकाये कर की राशि वसूल की जा चुकी है ।

समिति का निष्कर्ष एवं निर्णय

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को निष्पादित समझती है ।

भोला सिंह

सभापति

लोक लेखा समिति

पटना

दिनांक 3 मार्च 1987

बि०स०शा०म० (एल० ए०) 368। 11—10000—25-5-1987—न० प्रसाद ।